

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

-RL-SCH/11.00/1A

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair

**FELICITATIONS TO SCIENTISTS/ENGINEERS/TECHNICIANS
OF D.R.D.O.**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Defence Research Development Organisation (DRDO) successfully demonstrated a Ballistic Missile Defence capability through an Advanced Area Defence Missile on the 28th of December, 2017.

On behalf of the House and on my own behalf, I congratulate the scientists, engineers and technicians of the DRDO, who were associated with this programme and do hope that they will continue to scale greater heights and strengthen the defence capabilities of our country. We wish them all success for their future endeavours.

(Ends)

PAPERS LAID ON TABLE

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

40 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 को प्रकाशित करने वाली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1266 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Accounts of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, for the year 2016-17, and the Audit Report thereon.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Fifteenth Annual Report and Accounts of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFC), Dibrugarh, Assam, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (ii) (a) Seventy-third Annual Report and Accounts of the Fertilizers and Chemicals Travancore (FACT) Limited, Kochi, Kerala, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (iii) (a) Fourteenth Annual Report and Accounts of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL), Jodhpur, Rajasthan, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.
- (iv) (a) Fifty-first Annual Report and Accounts of the Madras Fertilizers Limited (MFL), Chennai, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.
- (v) (a) Forty-third Annual Report and Accounts of the National Fertilizers Limited (NFL), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.
- (vi) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Projects and Development India Limited (PDIL), NOIDA, Uttar Pradesh, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

- (vii) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), Mumbai, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—
- (i) (a) Twenty-sixth Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram, Haryana, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (ii) (a) Forty-ninth Annual Report and Accounts of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

श्री मनोज सिन्हा : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Communications (Department of Posts) Notification No. G.S.R. 1475 (E), dated the 2nd December, 2017, publishing the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2017, under sub-section (4) of Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Communications

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

(Department of Telecommunications) Notification No. G.S.R. 1068 (E), dated the 28th August, 2017, publishing the prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number, Rules, 2017, under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

III. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) Notification No. F. No. 1-1/2017-Coord dated the 14th November, 2017, publishing the TRAI Meetings for Transaction of Business (Third Amendment) Regulation, 2017, under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

IV. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) Notification No. G.S.R. 1441 (E), dated the 23rd November, 2017, publishing the panic button and Global Positioning system facility in all mobile phone handsets (Amendment) Rules, 2017, under sub-section (4) of Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933

V. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Telecommunications Consultants India Limited (TCIL), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Performance Review of the above Company, for the year 2016-17.
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Hemisphere Properties

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

India Limited (HPIL), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Performance Review of the above Company, for the year 2016-17.

VI. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology) and the Telecommunications Consultants India Limited (TCIL), for the year 2017-18.

SHRI RAJEN GOHAIN: Sir, I lay on the Table —

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways, Notification No. G.S.R. 1060 (E), dated the 23rd August, 2017, publishing the Railway Claims Tribunal (Procedure) Second Amendment Rules, 2017, under sub-section (3) of Section 30 of the Railways Claims Tribunal Act, 1987.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the RITES Limited, New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.
- (ii) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Braithwaite & Company Ltd. (BCL), Kolkata, for the year 2016-17, together

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Railway Sports Promotion Board (RSPB), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
(b) Performance Review of the above Board, for the year 2016-17.
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Railway Welfare Organisation (IRWO), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
(b) Performance Review of the above Organisation, for the year 2016-17.
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Railway Information Systems (CRIS), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
(b) Performance Review of the above Centre, for the year 2016-17.
- (iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the IRCON International Limited, for the year 2017-18.
- (v) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), for the year 2017-18.
- (vi) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL), for the year 2017-18.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

- (vii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Burn Standard Company Limited, (BSCL), for the year 2017-18.
- (viii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFCL), for the year 2017-18.
- (ix) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), for the year 2017-18.
- (x) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited (MRVCL), for the year 2017-18.
- (xi) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Braithwaite & Company Limited, for the year 2017-18.
- (xii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the RailTel Corporation of India Limited, for the year 2017-18.
- (xiii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the RITES Limited, for the year 2017-18.
- (xiv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Container Corporation of India Limited (CONCOR), for the year 2017-18.
- (xv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTCL), for the year 2017-18.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

- (xvi) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, for the year 2017-18.
- (xvii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways,) and the Kolkata Metro Rail Corporation Limited (KMRCL), for the year 2017-18.

श्री परषोत्तम रुपाला : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Karnataka Cashew Development Corporation (KCDC) Limited, Mangalore, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (ii) (a) Thirty-first Annual Report and Accounts of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, Kashmir, for the year 2000-01, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (iii) (a) Thirty-second Annual Report and Accounts of the Jammu and

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, Kashmir, for the year 2001-02, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (ii) and (iii) above.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 14 and sub-section (4) of Section 17 of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962:—

(a) Annual Report of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi, for the year 2016-17.

(b) Annual Accounts of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi, for the year 2016-17, and the Audit Report thereon.

(c) Annual Accounts of the National Cooperative Development Corporation Employees Provident Fund, New Delhi, for the year 2016-17, and the Audit Report thereon.

(d) Review by Government on the working of the above Corporation.

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ:-

(a) Annual Report and Accounts of the National Meat and Poultry

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Processing Board (NMPPB), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

SHRI C. R. CHAUDHARY: Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Notification No. G.S.R. 1373 (E), dated the 7th November, 2017, publishing corrigendum to Notification No. G.S.R. 629 (E), dated the 23rd June, 2017, under sub-section (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (11) of Section 31 of the Warehousing Corporation Act, 1962: —

(a) Sixtieth Annual Report and Accounts of the Central Warehousing Corporation (CWC), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

SHRI P.P. CHAUDHARY: Sir, I beg to lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Two Hundred Sixty-sixth Report of the Law Commission of India on the Advocates Act, 1961 (Regulation of Legal Profession) (March, 2017).

(ii) Two Hundred Sixty-seventh Report of the Law Commission of India on the Hate Speech (March, 2017).

(iii) Two Hundred Sixty-eighth Report of the Law Commission of India on the Amendments to Criminal Procedure Code,

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

1973- Provisions Relating to Bail (May, 2017).

- (iv) Two Hundred Sixty-ninth Report of the Law Commission of India on the Transportation and House-keeping of Egg-laying hens (layers) and Broiler Chickens (July, 2017).
- (v) Two Hundred Seventieth Report of the Law Commission of India on the Compulsory Registration of Marriages (July, 2017).

MR. CHAIRMAN: No begging, please. ...(Interruptions)... चौधरी जी, मैंने पहले भी यह बताया था, मेरे ख्याल से उस दिन आप नहीं होंगे। मैंने सदस्यों से कहा था कि जब आप पेपर ले करते हैं, उस समय 'मैं अनुमति चाहता हूँ' या 'मैं रखता हूँ', ये शब्द कहने हैं। 'Begging' word को हम avoid करें तो अच्छा होगा।

(Ends)

MESSAGE FROM LOK SABHA

**THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE)
BILL, 2017**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

enclose the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th December, 2017."

I lay a copy of the Bill on the Table.

(Ends)

REPORT OF COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (HIMACHAL PRADESH): Sir, I present the Seventy-first Report (in English and Hindi) of the Committee on Government Assurances.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...(Interruptions)... I don't want any Member to sit and speak. Stand and speak only whenever called.

**REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON AGRICULTURE**

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात): महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2017-18)' के संबंध में अड़तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

(Ends)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

**STATEMENTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE**

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात): महोदय, मैं विभाग संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) Forty-second Report on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-fifth Report of the Committee (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare; and
- (ii) Forty-third Report on the action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-sixth Report of the Committee on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(Ends)

(Followed by DC/1B)

-RL/DC-RPM/1B/11.05

**REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**

SHRI SURESH GOPI (NOMINATED): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology (2017-18):—

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

- (i) Forty-second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Electronics and Information Technology';
- (ii) Forty-third Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on the subject 'Issues Related to Quality of Services and Reported Call Drops' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications); and
- (iii) Forty-fourth Report of the Committee on the subject 'Status of Cable TV Digitisation and Interoperability of Set Top Boxes' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(Ends)

**STATEMENTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**

SHRI SURESH GOPI (NOMINATED): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the Statements showing further Action Taken by the Government on the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology (2017-18):—

- (i) Eighteenth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Second Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Electronics and Information Technology;

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

- (ii) Nineteenth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Information and Broadcasting;
- (iii) Twenty-second Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Electronics and Information Technology;
- (iv) Thirtieth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-third Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Information and Broadcasting;
- (v) Thirty-first Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);
- (vi) Thirty-second Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-fifth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Electronics and Information Technology;
- (vii) Thirty-third Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

(2016-17)' of the Ministry of Communications (Department of Posts);

- (viii) Thirty-ninth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Thirty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Information and Broadcasting; and
- (ix) Forty-first Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Thirty-seventh Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

(Ends)

**REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT**

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) Fortieth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Pradhan Mantri Awaas Yojana-Grameen (PMAY-G)' previously Indira Awaas Yojana (IAY) pertaining to the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development); and

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

- (ii) Forty-first Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Panchayati Raj. (Ends)

REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Twentieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on the subject 'Vigilance in Indian Railways' of the Railway Convention Committee.

(Ends)

STATEMENTS RE. IMPLEMENTATION OF FIFTH, THIRTY-FIRST AND TWENTY-FIFTH REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, with your permission, I make the following statements regarding:—

- (i) Status of implementation of recommendations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers;
- (ii) Status of implementation of recommendations contained in the Thirty-first Report of the Department-related Parliamentary

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers; and

- (iii) Status of implementation of recommendations contained in the Twenty-fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRS)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

(Ends)

STATEMENTS RE. IMPLEMENTATION OF THIRTY-SEVENTH AND THIRTY-EIGHTH REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI MANOJ SINHA): Sir, I make the following statements regarding:—

- (i) Status of implementation of recommendations/observations contained in the Thirty-seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications; and
- (ii) Status of implementation of recommendations/observations contained in the Thirty-eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology on 'Issues related to quality of services and reported call drops'

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

(Ends)

STATEMENTS RE. IMPLEMENTATION OF SEVENTY-NINTH, EIGHTY-FIRST AND EIGHTY-SEVENTH REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI P.P. CHAUDHARY): Sir, I make the following statements regarding:—

- (i) Status of implementation of recommendations contained in the Seventy-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Feasibility of Holding Simultaneous Elections to the House of People (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies;
- (ii) Status of implementation of recommendations contained in the Eighty-first Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Role of Ministry of Law and Justice in Framing/Approving the provisions of International Covenants/Multilateral/Treaties or Agreements' pertaining to the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice; and
- (iii) Status of implementation of recommendations contained in the Eighty-seventh Report of the Department-related Parliamentary

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Inordinate delay in filling up the vacancies in the Supreme Court and High Courts'.

(Ends)

**ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK
COMMENCING 1st JANUARY, 2018**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIJAY GOEL): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing next week will consist of: -

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper consisting of: -
 - (a) Consideration and passing of the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.
 - (b) Consideration and passing of the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.
 - (c) Consideration and passing of the Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

2. Further consideration and passing of the Whistle Blowers Protection (Amendment) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha.

3. Consideration and passing of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013, as reported by Select Committee of Rajya Sabha.
...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति महोदय, बीएसी में तय हुआ था कि आप जिन दो आइटमों, व्हिसल ब्लोअर और करप्शन के बारे में कह रहे हैं, अगर इन्हें आप लाएंगे, तो लोकपाल के साथ लाएंगे, नहीं तो ऐसे आप नहीं लाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ...(व्यवधान)... Please. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: आप लोकपाल के साथ इन्हें लाइए। ...(व्यवधान)... अगर आप कहते हैं कि हम तो इन्हें ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नरेश जी, आप उनसे बात मत कीजिए, मुझसे बात कीजिए।
...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, यह कोई अकेले का मामला नहीं है। सर, यह तो बीएसी का निर्णय है। ...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल : नरेश जी, यह गवर्नमेंट बिजनेस है। एलॉट होने के बाद बहस के लिए टाइम तय होगा। ...(व्यवधान)...

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, . . . (Interruptions) . . . Mr. Vijay Goel, you need not answer Members, please. He had a point. He made his point. Just hear it. That is all.

SHRI VIJAY GOEL: 4. Consideration and passing of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha.

5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017 (No.5 of 2017) and consideration and return of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.

(To replace an Ordinance)

6. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (No.7 of 2017) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017, after it is passed by Lok Sabha. **(To replace an Ordinance)**

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

7. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha: -

(a) The Requisitioning and Acquisition of Immoveable Property (Amendment) Bill, 2017.

(b) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017.

8. Consideration and return of the Appropriation (No.5) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.

9. Consideration of Resolution seeking approval of the recommendations contained in Paras 9,10 (to the extent that reimbursement of losses on operation of 'strategic lines' is made by General Revenues to Ministry of Railways) 11,12 ,13,14,15,16 and 17 (the rate of interest will be paid on the basis of average cost of borrowing) of the Sixth Report of the Railway Convention Committee (2014) which was presented in Lok Sabha and laid in the Rajya Sabha on 2nd December, 2016.

10. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha: -

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

(a) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.

(b) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2017.

(c) The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017.

(d) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017.

(e) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.

11. Consideration and agreeing to the Amendments made by Lok Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha, as reported by Select Committee of Rajya Sabha and as passed by Rajya Sabha with amendments.

12. Further consideration and passing of the National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.

(Ends)

(Followed by KS/1C)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

KS-PSV/1C/11.10

MR. CHAIRMAN: I have an advice for the Government, through the Parliamentary Affairs Minister. There has been a long-pending demand in respect of the salaries and emoluments of the Members of Parliament along with the Pay Commission's Report. Please examine it and get back to the House as and when the Government decides about it. Then...

श्री नरेश अग्रवाल: चेयरमैन सर ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...(Interruptions)... Let me take up today's Business first.

श्री नरेश अग्रवाल: यह कौन सी बात हो रही है? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I will allow you. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: हम सदन में अपनी बात ही नहीं कह सकते? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हमेशा ऐसा कैसे होता है? ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर ...(व्यवधान)... इन्होंने जो बताया है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, yesterday during the Question Hour I had expressed my displeasure against the conduct of the hon. Member, Shri B.K. Hariprasad. This morning, Shri B.K. Hariprasad met me...

श्री नरेश अग्रवाल: *

MR. CHAIRMAN: Please. This will not go on record. ...(Interruptions)...
Please. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: *

MR. CHAIRMAN: From the Chair, in an unusual manner, I made a suggestion; first, let the Government discuss it and, then, come back to the House, and then, you can have your say. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: *

श्री सभापति: यह विपक्ष का, स्वपक्ष का, सत्तारूढ़ पार्टी का सवाल नहीं है।
...(व्यवधान)... Please don't make such comments. आप बैठिए, प्लीज़। आप कृपया बैठिए।

This morning, Shri B.K. Hariprasad met me personally and said what happened yesterday was on the spur of the moment and that he did not mean any disrespect to the Chair. He also said that he holds the office of the hon. Chairman in high esteem. In view of this, I have decided to treat the matter as closed.

* Not recorded.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR**DEMAND FOR STRICT LAW TO CHECK CYBER CRIME**

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): सर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, जो आज आपने मुझे अवसर दिया है।

महोदय, 'साइबर क्राइम' एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक वरदान है। ...(प्लीज़)... इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, व्हाट्सएप तथा अन्य कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। परन्तु यह जो ब्लेसिंग है, यह जो वरदान है, इस पर साइबर क्राइम ने ग्रहण लगा दिया है।

सर, साइबर क्राइम एक ऐसा दीमक है, जो हमारी व्यवस्था को चाट रहा है। मैं तो यह रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि साइबर क्राइम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक सख्त कानून लाया जाये। मेरा कहना है कि better prevent and prepare than repent and repair. मैं आभारी हूँ, मैं तो प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यह जो टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जैसे करप्शन के ऊपर सीधी चोट की है, चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो या 'जन-धन योजना' हो। यह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसने हम सबको लोगों के साथ कनेक्ट किया है।

(1डी/वीएनके पर जारी)

VNK-RSS/1D/11.15

श्री श्वेत मलिक (क्रमागत) : इसीलिए कनेक्ट किया है और आज सोशल मीडिया जो है, वह बड़ा महत्वपूर्ण मीडिया है, जिससे हम कुछ सेकेंड्स में ही सारे देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों से कनेक्ट हो जाते हैं। मैं इसके लिए एनडीए की सरकार को बहुत धन्यवाद करूंगा, पर यह जो साइबर क्राइम है, जैसा मैंने कहा कि यह एक ग्रहण बन कर इन उपलब्धियों पर खड़ा है। हमें information technology से जो economic globalization की blessing मिली है, उससे हम grow कर रहे हैं, लेकिन इस साइबर क्राइम के कारण आम जनता कष्ट में है, जिसमें सबसे पहले terrorism है। Cyber terrorism कनेक्ट करने का आसान रास्ता है। जो terrorists हैं, वे निर्भीक होकर इसके माध्यम से लोगों को आतंकित भी करते हैं और लोगों को misguide भी करते हैं। इसके माध्यम से वे अपना कुसंदेश लोगों तक पहुंचाते हैं।

सर, ऐसे ही बिजनेस में जो वेबसाइट्स हैक होती हैं, इन हैक की हुई वेबसाइट्स से वे लाभ उठाते हैं और बिजनेसमैन के साथ लाखों-करोड़ों रुपए का धोखा कर देते हैं। जो हमारी माताएं-बहनें हैं, उनके खिलाफ भी इस साइबर क्राइम के थू बहुत जबरदस्त क्राइम हो रहा है और जो साइबर बुलिंग है, उससे कोई भी संदेश कहीं भी पहुंच जाता है। सर, मैं आपके माध्यम से इस हाउस से डिमांड करूंगा कि सरकार के माध्यम से इस साइबर क्राइम को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आम आदमी निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके।

(समाप्त)

SHRI AMAR SHANKAR SABLE (MAHARASHTRA): Sir, I associate myself with the matter raised by hon. Member.

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

श्री सभापति : ठीक तरह से जवाब देना कहना ठीक है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना अच्छा होगा।

NON-UTILIZATION OF FUNDS UNDER NAMAMI-GANGE PROJECT

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : सर, जहां आज केन्द्र की सरकार है, वहां किसानों को उनके उत्पादों के मूल्य न मिलने के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वहीं राष्ट्रीय मिशन में सम्मिलित 'नमामि गंगे परियोजना' की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आवंटित 26 सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपयोग नहीं की गई है। 2017 तक इसका उपयोग कर लिया जाना था, पर 2017 की समाप्ति के बाद भी 26 परियोजनाएं, जो गंगा की सफाई से, गंगा की स्वच्छता से जुड़ी थीं, आज तक वे परियोजनाएं न तो बनी हैं और न जो रुपए इनके लिए आवंटित हैं, उनका उपयोग हुआ है। यह बात तो समझ में आती है कि सरकारें बनने के बाद जनता के साथ * करती रही हैं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : कृपया आप विषय पर आइए।...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी : सर, मैं विषय पर ही हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब तक सरकारें जनता के साथ * करती रही हैं। माननीय सभापति जी, यह पहली सरकार आई है, जो भगवान के साथ भी * कर रही है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सरकार को श्राप देना है, तो वह अलग बात है, पर आपका विषय गंगा परियोजना है, आप उस पर आइए।...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी : सर मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन हमें सरकार की आलोचना तो करने दीजिए।...(व्यवधान)...

*** Expunged as ordered by the Chair.**

श्री सभापति : तारीफ और आलोचना की बात छोड़िए, कृपया आप विषय पर आइए।...(व्यवधान)... आप गंगा के साथ अन्याय मत कीजिए, अगर इसमें politics होगी, तो इसमें सुधार नहीं होगा। प्रमोद जी, आप बहुत अनुभवी हैं, इसलिए आप विषय पर आइए।...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी गए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी कैसे आए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मां गंगा ने बुलाया है। उन्हें 'मां गंगा' ने बुलाया, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, जीत गए, प्रधान मंत्री बन गए, फिर गंगा मैया को भूल गए। चूंकि मैं गंगा मैया के क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं बहुत विनम्रता के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो 26 सौ करोड़ रुपए आवंटित हैं, उनका जितनी जल्दी हो सके, उपयोग किया जाए ताकि जो परियोजनाएं हैं, वे आ जाएं।

सर, मैं इस साल की आखिरी बात यह कह कर समाप्त करना चाहता हूँ कि जब लोग मर जाते हैं, तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, पर यह सरकार जो * कर रही है, गंगा मैया भी इसका * धोने से इनकार इसलिए कर देंगी क्योंकि इस सरकार ने गंगा मैया को भी * दिया है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों, मजदूरों, नौजवानों को तो * दे चुकी, कम से कम गंगा मैया पर कृपा करे, यही मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI PARTAP SINGH BAJWA (PUNJAB): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI SANJIV KUMAR (JHARKHAND): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI P. BHATTACHARYA (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU (JHARKHAND): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI SANTIUSE KUJUR (ASSAM): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA (UTTARAKHAND): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

श्री सभापति : प्रमोद जी, आपने गंगा मैया के नाम पर नोटिस दिया, मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आप गंगा के साथ * शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। खैर, इस बात को छोड़ दीजिए। प्रमोद जी, जब विषय गंभीर हो, तो उतनी ही गंभीरता से तथ्य के ऊपर जाकर उस पर स्वच्छ विमर्श करें, तो यह सबके लिए अच्छा होगा। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, आपको अधिकार है, लेकिन ज़ीरो ऑवर में हम लोग विषय तक सीमित करें, बाकी politics के लिए आपको समय मिलेगा। आप अनुभवी हैं, आप दोनों तरफ रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं। श्री रीताब्रता बनर्जी।

(1ई/एनकेआर-केजीजी पर आगे)

KGG-NKR/1E/11.20

DEMAND FOR ANNOUNCING BIRTHDAY OF NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE AS NATIONAL HOLIDAY AND AS PATRIOTISM DAY

SHRI RITABRATA BANERJEE (WEST BENGAL): Sir, I am making this Zero Hour submission in this august House to urge the Union Government to declare Netaji Subash Chandra Bose's birthday, that is, 23rd of January, as 'Deshoprem Dibas', the Day of Patriotism, and as a National holiday reflecting institutional acceptance of the supreme patriotic zeal of which Netaji Subash Chandra Bose was one of the highest epitome.

***Expunged as ordered by the Chair.**

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Incidentally, tomorrow is the 74th anniversary of unfurling of the tricolour in the Andaman & Nicobar Islands in which he had named them as Shaheed and Swaraj Islands. Bose's birthday not only falls in the month of January but this very month also records Netaji's 'great escape' considered to be one of the greatest in the history of the world.

The British Government had put him on house arrest in Elgin Road, Calcutta. On 16th of January, 1941, Bose disguised as an insurance agent, escaped from his house amidst British surveillance. He travelled by road up to Gomoh, from where he took the Kalka Mail to old Delhi. From Old Delhi, taking the Frontier Mail he went up to Peshawar and from there with the help of other revolutionaries he escaped the British India's North-West Frontier Province to reach Afghanistan.

From there, Sir, in the guise of an Italian national, called Count Orlando Mazzotta, he went to Europe and organized the Indian prisoners of war there. He lived in Europe up to 1943. After being disillusioned that Nazi Germany could be of any help in gaining India's Independence, he left for Japan. He took a great risk in travelling in the German submarine around the Cape of Good Hope to the south-east of Madagascar

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

where he was transferred to a Japanese submarine for his journey to Japan.

As a Supreme Commander of the Indian National Army, Bose organized the military and also the large number of Indians living in different parts of South-East Asia. On 6th of July, 1944, Netaji in a speech broadcasted by the Azad Hind Radio, addressed Gandhiji for the first time as the 'Father of the Nation'. With his Azad Hind Fauj, he marched towards India and for the first time raised the Indian tricolour, modelled after that of the Indian National Congress, in the town of Moirang, Manipur. His death defying heroism and supreme patriotism for the motherland is rarest of the rare in the history of civilization.

The hon. Chief Minister of West Bengal and the West Bengal Government have already demanded for the declaration of his birthday as the day of Patriotism and as a National Holiday. I urge upon the Union government to declare 23rd of January as 'Deshoprem Dibas' and as a National holiday to institutionalize the supreme patriotic zeal of Netaji and show befitting honour to Bose, the forgotten Hero. Thank you, Sir.

(Ends)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI RIPUN BORA (ASSAM): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI A.U. SINGH DEO (ODISHA): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI DILIP KUMAR TIRKEY (ODISHA): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर (राजस्थान) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करती हूँ।

प्रो. जोगेन चौधरी (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the concern expressed by the Hon. Member.

MR. CHAIRMAN: I think, almost all sides are associating. Netaji Subhash Chandra Bose is a great hero. Whenever we see him even in films, we all feel patriotism. I hope, the Government will take note of it.

AN HON. MEMBER: We should declare it a holiday. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Declaring a day is different, holidaying is different. We should not be seen as if we are always asking for holidays. So, please understand. But sentimentally what he said is right. ...(Interruptions)..

(Ends)

CONCERN OVER MISBEHAVIOUR WITH PASSENGERS BY SOME PRIVATE AIRLINES

श्री हरिवंश (बिहार) : सभापति जी, समय देने के लिए धन्यवाद। यह सच है कि भारत में हवाई यात्रा के क्षेत्र में निजी एयरलाइंस की भूमिका महत्वपूर्ण है, परन्तु निजी

एयरलाइंस चलाने वाले देश के कानून से ऊपर नहीं हैं। आज इस बाजार व्यवस्था का सर्वमान्य स्लोगन है - Customer is king - यानी हवाई यात्रा में यात्री ही सब कुछ है लेकिन आज इन यात्रियों के साथ क्या हो रहा है?

नवम्बर में सभी टी.वी. चैनलों पर देश और दुनिया ने देखा कि एक बीमार, लगभग 60-62 वर्ष की उम्र के अकेले यात्री को जानबूझकर, अकेला कर, उस एयरलाइंस के 4-6 नौजवान बहादुर लोगों ने नीचे गिराकर उसके साथ मारपीट की। उसी एयरलाइंस के एक संवेदनशील युवा कर्मचारी ने जब उसका वीडियो बनाया तो उसे तुरंत नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। उसी एयरलाइंस के बारे में हमारे समय के बड़े इतिहासकार, सामयिक विषयों पर लिखने वाले देश-दुनिया के सम्मानित नाम, रामचन्द्र गुहा ने ट्विटर पर complaint की - Unprovoked Rudeness. 4 नवंबर को एक मशहूर खिलाड़ी और देश की गौरव पी.वी. सिंधु ने अपनी मुम्बई यात्रा में उसी एयरलाइंस के कर्मचारियों के बारे में rude behaviour की शिकायत की। ये तीन शिकायतें सार्वजनिक हुई हैं। एक ही एयरलाइंस को लेकर आम यात्रियों को क्या परेशानी रोज़ होती होगी, हम इसे समझ सकते हैं। 6 दिसंबर के 'Mint' अखबार की खबर है - 'Airlines seen posting higher profits in the Financial Year 2018 on fare hikes.' इसी सदन में baggage के नाम पर किस तरह पैसे वसूले जाते हैं, जब यह सवाल उठा तो कुछ दिनों तक स्थिति ठीक रही, लेकिन फिर अदालत से कोई स्टे लेकर आ गया और आज फिर वही स्थिति है कि यात्रियों से अधिकाधिक पैसा वसूलो। मुझे तो डर लगता है कि आने वाले समय में हवाई जहाज के अंदर सांस लेने के भी पैसे

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

वसूले जाएंगे। दरअसल यह निजी पूंजी का चरित्र है। तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए थे - 'समर्थ को नहीं दोष गुसाई'।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी एयरलाइंस भारत सरकार के नियम-कानूनों के तहत काम करें।

(1F/DS द्वारा जारी)

-NKR/DS-SSS/11.25/1F

श्री हरिवंश (क्रमागत) : मैंने एक निजी एयरलाइंस के बारे में बताया। सारे निजी एयरलाइंस लगभग इसी तौर-तरीके से यात्रियों के साथ परेशानी पैदा करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सरकार से कहें कि वह उस पर कुछ पाबंदी लगाए और उनको नियम-कानून के तहत काम करने के लिए कहे। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI RITABRATA BANERJEE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI NARESH AGRAWAL (UTTAR PRADESH): Sir, I too associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI RAM KUMAR KASHYAP (HARYANA): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI SANJIV KUMAR (JHARKHAND): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

PROF. RAM GOPAL YADAV (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI T. K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Harivansh.

SHRI ASHOK SIDDHARTH (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with the concern expressed by Shri Harivansh.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with the concern expressed by Shri Harivansh.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with the concern expressed by Shri Harivansh.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the concern expressed by Shri Harivansh.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, अगर एमपीज़ एयरलाइन में कुछ करते हैं, तो एमपीज़ को सारी एयरलाइंस बैन कर देती हैं। जब कर्मचारी ऐसा कर रहा है, तो उसको भी एयरलाइन में नौकरी करने के लिए बैन करना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : इस सुझाव को ध्यान में रखना चाहिए। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

(समाप्त)

DEMAND FOR BRINGING BACK FISHERMEN LANGUISHING IN JAILS IN PAKISTAN

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मामले को उठा रहा हूँ। मान्यवर, गुजरात के समुद्री क्षेत्र ओखा से हमारे उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के 21 मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना 9 नवम्बर, 2017 को पकड़कर ले गई है, जो अभी कराची जेल में हैं। वहाँ उनको तरह-तरह की यातनाएँ दी जा रही हैं। चूंकि बुंदेलखंड में वैसे भी सूखा पड़ा है, तो ये गरीब लोग अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए वहाँ रोजगार की तलाश में गए थे। यह हो सकता है कि वे धोखे से पाकिस्तान के जल-क्षेत्र में चले गए हों या उनको अपने ही जल-क्षेत्र से पाकिस्तान की सेना पकड़कर ले गई हो। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इतना ही

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

नहीं, पाकिस्तान की जेलों में करीब 500 मछुआरे बन्द हैं और उनको वहाँ तमाम तरह की यातनाएँ दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जेलों में जो मछुआरे बन्द हैं, उनकी नौकाएँ भी बन्द हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ओखा क्षेत्र के जो श्री मनोज मोरी, ठेकेदार हैं, वे इनको वहाँ लेकर गए थे। वहाँ ये लोग उनके माध्यम से गए थे। उन लोगों के परिजन परेशान हैं। उनमें से एक की माँ को कैंसर हो गया है, जिनको कोई सुनने वाला या देखने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं, जिनको पाकिस्तान की सेना ओखा क्षेत्र से पकड़कर ले गई है, उनको रिहा करवाने की कृपा की जाए। मान्यवर, वे बहुत ही गरीब लोग हैं। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI NARESH AGRAWAL (UTTAR PRADESH): Sir, I associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI RAM KUMAR KASHYAP (HARYANA): Sir, I too associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI NEERAJ SHEKHAR (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

SHRI K. K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the concern expressed by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री सभापति : इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग हाथ उठा रहे हैं, उनके नाम इतने कम समय में नोट करना -- हम आगे इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे ये सारे नाम रिकॉर्ड में आएँ। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये नोट कर रहे हैं, मगर इतने कम समय में इस तरफ-उस तरफ...(व्यवधान).. ठीक है, आपका नाम भी आ जाएगा।
श्री संजीव कुमार जी।

(समाप्त)

STARVATION DEATHS IN JHARKHAND

श्री संजीव कुमार (झारखंड) : महोदय, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को संतोषी कुमारी, ग्राम- कारीमाटी, जिला-सिमडेगा, झारखंड की मौत भूख से हो गई। खाद्य मंत्री, झारखंड का मानना है कि उसकी मौत का जिम्मेवार अप्रैल, 2017 को जारी मुख्य सचिव का विवादास्पद आदेश है, जिसमें उन्होंने राज्य के जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि जिन्होंने अपने राशन कार्ड को "आधार" से नहीं जोड़ा है, उसे सस्ता राशन नहीं मिलना चाहिए।

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

इसी प्रकार, श्री बैद्यनाथ रविदास, निवासी-झरिया, जिला-धनबाद ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2017 एवं श्री रूपलाल मरांडी, निवासी- जिला देवघर ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को सस्ता राशन नहीं मिलने के कारण भूख से दम तोड़ दिया। खाद्य मंत्री, झारखंड ने मुख्य सचिव द्वारा अप्रैल, 2017 में जारी आदेश को गैर-जिम्मेदाराना बताया एवं उसे रद्द कर दिया। हाल ही में, UIDAI ने राशन कार्ड को "आधार" से न जोड़ने एवं सस्ता राशन न देने वाले आदेश के खिलाफ जाँच का आदेश दिया है।

महोदय, अगर राज्य सभा में मेरे द्वारा उठाए गए मामलों के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, तो पता चलेगा कि झारखंड में ज्यादातर आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारी जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार, अपराधियों से सांठ-गांठ आदि आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। अभी हाल ही में, दो सप्ताह के अंदर सी.बी.आई. कोर्ट, झारखंड ने एक पूर्व मुख्य सचिव को चारा घोटाला एवं सी.बी.आई. कोर्ट, दिल्ली ने पूर्व मुख्य सचिव, झारखंड को कोल स्कैम में सजा सुनाई है।

महोदय, झारखंड में एक तरफ जहाँ आदिवासियों एवं वहाँ के मूल निवासियों की जमीनों के अंदर से कोयला, ताँबा एवं अन्य खनिज-सम्पदाएँ निकलती हैं और वे लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए जो सीनियर आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारी जिम्मेदार हैं, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

महोदय, मेरे द्वारा राज्य सभा में पिछले उठाए गए मामलों का रिकॉर्ड यह साबित करता है कि ADGP रैंक का एक पुलिस ऑफिसर, जो राज्य सभा चुनाव में एक विधायक पर दबाव डाल रहा था और राज्य सभा में मेरे द्वारा इस मामले को उठाने के

बाद निर्वाचन आयोग ने उसके खिलाफ एफआईआर लॉज करने का आदेश दिया था, वह अब भी अपने पद पर विद्यमान है। (1जी/जीएस पर जारी)

GS-NBR/11.30/1G

श्री संजीव कुमार (क्रमागत) : महोदय, जहां झारखंड में गरीब आदिवासियों की भूख से मौत हमें पूरे संसार के सामने शर्मसार करती है, वहीं हाल ही में स्थानीय नीति के मामले में चर्चा मांगने पर विधान सभा सतह पर जिस प्रकार आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को..

श्री सभापति : संजीव जी।

श्री संजीव कुमार : मुख्य मंत्री ने गाली-गलौज की, वह साबित करता है कि झारखंड में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड जो सबसे ज्यादा लोहा, तांबा और खनिज देता है, वहां पर आदिवासियों की जो भूख से मौत हो रही है, वह शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं।

श्री मोहम्मद अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. KARAN SINGH (NCT OF DELHI): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by Mr. Sanjiv Kumar.

(Ends)

DEMAND FOR INCREASING MINIMUM SUPPORT PRICE FOR PADDY

श्री दिलीप कुमार तिकी (ओडिशा) : सभापति महोदय, ओडिशा देश का एक rice growing state है। करीबन 60 लाख किसान ओडिशा में चावल की खेती करते हैं, लेकिन आज धान पर M.S.P. काफी कम होने के कारण उन किसानों के लिए काफी बड़ा क्राइसिस हो गया है। ओडिशा की राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक क्विंटल चावल के उत्पादन पर किसान का 2,344 रुपये का खर्च आता है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट धान पर सिर्फ 1,550 रुपये M.S.P. दे रही है। आज खेती में बीज, सिंचाई, मजदूरी, खाद हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ रही है, लेकिन फसल की जो कीमत है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसी कारण पूरे देश में धान पैदा करने वाले किसान परेशान हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ओडिशा की स्टेट असेम्बली ने हाउस कमेटी की सिफारिश पर एकमत से धान का M.S.P. 2,930 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। मगर दुख की बात यह है कि सेंट्रल

गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने भी प्रधान मंत्री जी को इस बारे में खत लिखा है। एनडीए सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में M.S.P. की मदद डेढ़ गुना करने की बात कही थी, मगर हकीकत में यह आज भी लागत मूल्य से काफी कम है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि देश के करोड़ों किसानों और ओडिशा के लाखों किसानों के हितों की रक्षा के लिए paddy का M.S.P. तत्काल बढ़ाकर कम से कम 2,930 रुपये किया जाए, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री सभापति : ठीक है, सबका नाम जुड़ जाएगा, धन्यवाद।

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री ए.यू. सिंह दिव (ओडिशा) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो (पंजाब): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

कुमारी शैलजा (हरियाणा) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूँ।

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member. Sir, the Government should respond to this.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI T. K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member. (Ends)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

DEMAND FOR FILLING VACANT POSTS OF CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN IN INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, the Intellectual Property Appellate Board is an important judicial organ. It was set up through a Gazette Notification in 2003.

The main function of the IPAB is to hear appeals against the decisions of the Registrar of Trade Mark, Patent Controller and issues relating to Geographical Indicators and copyright cases. Sir, the headquarters of the IPAB is located in Chennai and has its branches in Kolkata and Delhi.

The aim to set up IPAB was for speedy disposal of cases and rectification of applications. As per provisions laid down under the Trade Marks Act and the Patent Act, any decision, on any matter, is to be given either by the Chairman and a Technical Member or by the Vice-Chairman and a Technical Member. But, Sir, the post of the Chairman is lying vacant for the past one-and-a-half years and the post of the Vice-Chairman is lying vacant for more than three-and-a-half years. Along with this, the posts of two Technical Members are also vacant. The vacant posts have led to obstruction of justice since functioning of the Board has come to a standstill and the disposal rate has become very low. Since the posts are lying

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

vacant, the disposal rate of trade mark cases is now reduced to almost half -- from 61 per cent to 38 per cent -- and the pendency of cases has increased. Currently, there are 316 pending matters, including cases relating to patents and trade marks.

Sir, IPAB is an important judicial body which has, in the past, given important judicial decisions on Novartis and has been achieving milestones.

(CONTD. BY USY/1H)

USY-HMS/1H/11.35

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): The Government should appoint appropriate people on the posts of the Chairman, the Vice-Chairman, and the Technical Members. The concerns regarding the vacant posts have been brought to the notice of the Government. But, nothing has so far been done. Hence, I urge the Government to take appropriate steps to ensure that the judicial bodies in the country work efficiently and that they are able to cater to the needs of the people. Since, the IPAB, Chennai, is an important public institution, the vacant posts in this institution have paralyzed it. It is the foremost duty of the Government to take necessary steps, at the earliest, to fill the vacant posts with qualified individuals.

(Ends)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

**DEMAND FOR SETTING UP NATIONAL DEBT RELIEF COMMISSION
FOR FARMERS AND WRITING OFF AGRICULTURAL LOANS GIVEN TO
SMALL AND MARGINAL FARMERS**

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Mr. Chairman, Sir, through you, I am demanding for a total waiving off of the farmers' loans. We have witnessed the mounting agrarian crisis. And, considering this agrarian crisis, it is extremely important to write off all the loans taken by the farmers. A National Debt Relief Commission for farmers has also to be set up. Until a decision is taken by the National Debt Relief Commission, a moratorium on all farmers' loans needs to be declared by the Government. I urge the Government to take necessary steps in this regard.

Sir, we have promised farmers a profit of 50 per cent, in addition to the cost of production. But, unfortunately, all this has not happened. The farmers are committing suicides all over the country. The cheaper credit is also benefitting only the big agri-business companies, and not the farmers. The much-hyped *fasal beema* has resulted in pocketing of Rs. 21,500 crores by the *beema* companies. And, the disposed of amount is as meagre as Rs. 714 crores. So, considering all these aspects, it is extremely important for the Government to immediately intervene and arrest the mounting

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

agrarian crisis. As per the 2015 data of the NCRB, around 12,602 farmers have committed suicides, which is an increase of 42 per cent. The year 2015 registered an increase of 42,000 suicide by the farmers. I do not know why majority suicides by the farmers are taking place in BJP-ruled States. ... (Interruptions)...

श्री सभापति : भगवान सी०पी०एम०, बी०जे०पी० या कांग्रेस की नज़र से नहीं देखते।

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I am mentioning a fact. In Maharashtra alone, 4,291 farmers have committed suicides.

We are so eager to write off the corporate loans in the name of book adjustment. But, there is no book adjustment for farmers. I am requesting the Government to take necessary steps in order to make some adjustments for farmers. Please see the agony of farmers. The suicides by the farmers are mounting throughout the country. Farmers are agitating in Maharashtra, in Madhya Pradesh, almost in all parts of the country. The agony of farmers should not fall on deaf ears. You must open your eyes. ... (Interruptions)...

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Okay. Now, Shrimati Vijila Sathyanathan. ... (Interruptions)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Thank you, Chairman, Sir.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Whoever wants to associate, I have a suggestion, they should send their names to the Table so that it definitely goes on record, otherwise it may sometimes get missed also. It is my advice for future.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

डा० चन्द्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

DEMAND FOR JUSTICE TO TAMIL NADU STUDENTS IN EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Mr. Chairman, Sir, it is my first speech before you as the 13th Vice-President and the Chairman of this august House. I extend my greetings to you and I am also humbled to see your concern for my departed leader. The impact of your presence is indescribable and invaluable.

Now, Sir, I come to the point. Through you, I would like to urge the Central Government not to deprive the Tamil Nadu students from the employment opportunities in the Central Government recruitments. For the past ten years, it has been a major setback. In important offices, like, the Customs Department, the Excise Department, the AG Office, the Income Tax Department, the Defence, and fifty other establishments of the Central Government, the Tamilians are rarely getting employment. Why is it so?

(Contd. by 1J – PK)

PK-ASC/1J/11.40

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (CONTD.): Why? Data of candidates recruited by the Staff Selection Commission in 2013 shows that about 5.5 per cent candidates belonging to Tamil Nadu got appointment whereas

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

other States got 94.5 per cent. In 2014, it came to 3 per cent whereas other States got 97 per cent. In 2015, about 5 per cent Tamilians got appointments in Central Excise, Customs, AG Office, etc., whereas other States got 95 per cent. This statistical information shows that in all Central Government offices, Railway Ticket counters, Life Insurance, General Insurance and Nationalised Banks -- already, my colleague MP has pointed out this in his Special Mention -- we see only Hindi speaking personnels. In the last 10 years, Tamilians were denied getting these opportunities. Apart from service sectors, the same status prevails in the NLC, the BHEL, Defence factories, the ICF, Kalpakkam, Nuclear Power Plant, etc.

The Staff Selection Commission, a statutory body, conducts various levels of examination for Central Government vacancies. On All India basis, it was conducted in seven zones and two Deputy zones. Earlier, the Government vacancies were filled up zonal wise. Because of that, the State people got opportunities in their respective States. But now, it is conducted on all-India basis. Three Income-Tax employees in CBI net were caught for SSC malpractice. So, that also has been found out. All were from Bihar.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Now, I come to the solution. Examination on all-India basis should be abolished and zonal-wise examination should be conducted. Question papers should be in all regional languages. The respective Departments which go in for recruitments should seek only people who speak local languages. So, the respective Department has to call for.....

MR. CHAIRMAN: Thank you, Vijilaji.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: The questions in the third stage of examination....(Interruptions).. But I started only at...

MR. CHAIRMAN: The only point is that it is not going on record. That is my worry.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: The questions in the third stage of examination are only in English and Hindi, which gives an advantage to Hindi speaking people. The Employment and Training Ministry has to give approval since it is all computerized. Thank you.

(Ends)

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI LA. GANESAN (MADHYA PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shrimati Rajani Patil. I am allowing her as a special case because some serious incident has taken place, just before the start of the Session today. Otherwise, normally, we go by the list only. But, as a special case, I have allowed her. यह स्पेशल केस है, इसलिए एलॉउड है।

MAJOR FIRE AT KAMLA MILLS, MUMBAI

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : धन्यवाद सर, कल रात को महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जहां पर कमला मिल कम्पाउंड में आग की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इन मरने वालों में 12 महिलाएं थीं और 14 लोग घायल हुए हैं। जहां पर आग लगी थी, उसी के पास Times Now, Mirror Now, ET, TV9, Zoom TV, इन सभी electronic media के offices थे, उनको भी हानि पहुंची है।

सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि मुम्बई में बहुत बार देखा गया है कि जब कभी बारिश में इमारतें ठह जाती हैं, तो हम सदन में सवाल उठाते हैं। कभी ठंड के मौसम में आग लग जाती है, तो हम सदन में सवाल उठाते हैं और उसके बाद सब लोग उसको भूल जाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि मुम्बई में जो

लोग कानून बनाते हैं, उनको मुम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाइसेंस देती है, वहां पर '1 Above' रेस्टोरेंट है, वहां से आग शुरू हुई थी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उनको लाइसेंस देने में कुछ खामियां रह गई थी? जब हम उनको लाइसेंस देते हैं, तो उस समय क्या हम सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के हादसों में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो जिनका इनसे कोई भी संबंध नहीं होता है, वे मारे जाते हैं, तो यहां पर 12 महिलाएं मर गई हैं। इस प्रकार के हादसे दोबारा न हों, इसलिए कानून सख्ती से लागू करना चाहिए और हमारी सेफ्टी की लॉन्गटर्म पॉलिसी होनी चाहिए। मुम्बई में जहां पर पुरानी इमारतें हैं, वहां पर हमेशा इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस तरह के निर्देश दिए जाएं।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र) : महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

SHRI RAJ BABBAR (UTTARAKHAND): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK K. TANKHA (MADHYA PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA (ASSAM): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Please, please. That is not the system. Husainji, you want to say one word, please say.

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र) : महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

सर, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वहां पर fire equipment था, लेकिन वह चल नहीं रहा था। यह पूरा क्या मामला है, इसको भी देखना चाहिए। वहां पर क्या इल्लिगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह क्यों हुआ है, यह भी देखना चाहिए। (Ends)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri La. Ganesan.

(Followed by PB/1K)

PB-KLG/1K/11.45

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri La. Ganesan; Zero Hour. His Zero Hour Mention is 'Demand to introduce some new train between Trichy to Mayiladuthurai via Thanjavur and Kumbakonam.'

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

**DEMAND FOR INTRODUCING NEW TRAIN BETWEEN TRICHY AND
MAYILADUTHURAI VIA THANJAVUR AND KUMBAKONAM**

SHRI LA. GANESAN (MADHYA PRADESH): Sir, Thanjavur and Kumbakonam are the places which are important not only for agriculture but also for culture. But the passengers are deprived entry into the Mannargudi Express, which is called Mannai Express. Of course, I understand the financial difficulty of the Railway Department. What I suggest through my Zero Hour Mention is that an alternative arrangement be made for the passengers. So, I demand a special train, with quota, between Trichy to Mayiladuthurai so that they can board the Mannai Express. This is our demand. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Zero Hour Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Zero Hour Mention made by the hon. Member.

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Zero Hour Mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. CHAIRMAN: Rewati Raman Singhji. ...(Interruptions)... Because at Trichy also, it is Trichy there, Rangarajanji also would like to associate with it. ...(Interruptions)...Please. Rewati Raman Singhji.

(Ends)

श्री रेवती रमन सिंह: सभापति महोदय, मैंने आपसे रूल 267 में भी आग्रह किया था, आपने एलाऊ नहीं किया। आज मैंने जीरो ऑवर में भी दिया है।

श्री सभापति: मैंने एलाऊ किया था, मगर सदन चला नहीं। वह मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। आप अपना बोलिए।

ALLOTING SOLAR LIGHTS TO MEMBERS OF RAJYA SABHA AS IS PROVIDED TO MEMBERS OF LOK SABHA

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मेरा यह कहना है कि लोक सभा के मेम्बर्स को एनर्जी सर्विसेज़ कमीशन ने सोलर लाइट एलॉट की हैं, जिसमें एनर्जी सर्विसेज़ वाले 75 परसेंट सब्सिडी देते हैं, लेकिन राज्य सभा के मेम्बर्स को, किसी को भी एक भी सोलर लाइट न देने का प्रावधान किया गया है और न ही मिल रही है। एक साल से यह प्रावधान चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि लोक सभा और राज्य सभा दोनों बराबर हैं, फिर यह एकतरफा क्यों किया गया कि लोक सभा के मेम्बर्स को दिया गया और राज्य सभा के मेम्बर्स को नहीं दी गई? मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कृपया सरकार को निर्देश दें कि राज्य सभा के मेम्बर्स को भी यह सुविधा दी जाए।

(समाप्त)

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, हम भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Parliamentary Affairs Minister, please get in touch with the concerned Minister and find out the actual situation and then afterwards inform. Okay. Shri Naresh Agrawal. (Ends)

ADULTERATION IN FOOD ARTICLES

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, आज एक आम तरीका हो गया है कि जब आदमी बाजार में खाने की कोई चीज लेने जाना है, तो बाजार में पूछता है कि यह असली है या नकली है। श्रीमन विश्व में जितने भी डेवलपिंग देश हैं, वहां मिलावट पर बहुत सख्त कार्रवाई होती है। यूरोप, अमरीका में तो मिलावट शब्द को कोई जानता

नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो, मीट हो मछली हो, सबमें मिलावट है। हमारे नन्दा जी मछली के बड़े शौकीन हैं। हमने नन्दा जी से पूछा कि नन्दा जी, आप मछली नहीं खा रहे हो। उन्होंने कहा कि कल मैं बाजार गया था। मछली में भी एक लेप लगा देते हैं, जो बड़ा नुकसान करती है। मैंने दिल्ली में मछली खाना छोड़ दिया है। नन्दा जी ने मुझसे कहा। इसलिए इन्होंने कल दावत पर नहीं बुलाया।

श्रीमन, विज्ञापनों का इतना जोर है। एक बाबा रोज विज्ञापन देते हैं। उनकी कहीं इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हर चीज उनके यहां शुद्ध, ...(व्यवधान)... मैंने किसी का नाम नहीं लिया, घानी का शुद्ध तेल चाहिए, गाय का शुद्ध घी चाहिए। ...(व्यवधान)... सलमान खान, फिल्म स्टार एक कैप्सूल के लिए विज्ञापन देते हैं कि इसको खाइए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। राज बब्बर जी तो आजकल विज्ञापन नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैं अपने टाइम में बोल रहा हूँ।

श्री सभापति: आप बोलिए। मैं टाइम का याद दिला रहा हूँ।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैं यह कह रहा हूँ कि एमडीएच के मसाले, फलां यह, फलां वह। आज हिंदुस्तान में विज्ञापन के द्वारा एक होड़ लगी है कि हमारी चीज असली है, बाकी सब नकली है। ऐसा असली-नकली का दौर चला है। आज तमाम विज्ञापन होते हैं, जैसे दुबला होना है, स्वास्थ्य बढ़िया होना है। अब तो हम कहते हैं कि जितना लड़के को दुबला देखो, समझ लो कि वह बहुत अच्छे परिवार का है और अगर मोटा मिल

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

जाए, तो समझ लो कि मीडियम परिवार का है, क्योंकि वह अपना रख-रखाव कर ही नहीं पा रहा है। स्लिम होने की दवाई, फास्ट फूड आ रहा है कि आपका वजन न घटे, लंबे-छोटे होने की दवाई ...(व्यवधान)... गुजरात में सबसे ज्यादा चल रही है। मैं समझता हूँ, माननीय पासवान जी बैठे हैं, मैं कहूँगा कि अगर बाजार पर रोक न लगाई गई और अगर बाजार की हालत यह रही कि हम मिलावट के सामान को खाते रहे, जैसे सब्जी ऐसे पानी से धो दी जाती है, रंग दी जाती है, इसको अगर देश में नहीं रोका गया, तो यह हेल्थ के लिए बहुत खराब होगा। बहुत से रोग मिलावट के कारण हो रहे हैं, कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है।

(1एल/एकेजी पर जारी)

AKG-SKC/1L/11.50

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : लीवर जैसे तमाम अंग damage हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार कोई नियम बना कर मिलावट पर रोक लगाए।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

श्री सभापति : रामविलास जी, एक मिनट, पहले मैं अपना एक observation बता रहा हूँ। नरेश अग्रवाल जी ने जो एक गम्भीर विषय उठाया है, उसके सन्दर्भ में मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, सौभाग्य से मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। जो

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

advertisement दिया जाता है, उस advertisement का actual reality से कोई सम्बन्ध नहीं है in most of the cases. इस बीच उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैंने एक advertisement देखा, जैसा नरेश अग्रवाल जी बता रहे थे, कि आप यह medicine use करेंगे, तो 28 days में आपका इतना weight कम होगा। Already मेरा weight कम हो गया था, मगर मैंने इसे देखा। इसे देखने के बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर, ऐसा नहीं है। फिर मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि 1,230 रुपए pay करो, तो मैंने कहा कि इसे pay करो। मैंने इसे pay किया, उसके बाद वहाँ से एक पैकेट आया। मैंने उस पैकेट को खोला और देखा, तो उसमें लिखा था कि इसके लिए जो दूसरा टैबलेट चाहिए, उसके लिए आप एक हजार रुपए से ज्यादा पैसे भेजें, तब आपको original medicine मिलेगी। मैंने इसे वहीं नहीं छोड़ा, आप लोगों को मेरी mentality भी मालूम है। मैंने मिनिस्ट्री को अपने एक स्टाफ के द्वारा एक पत्र लिखवाया कि यह हमारा अनुभव है। मंत्री जी ने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की, मगर उसका reply यह आया कि इसमें जब inquiry की गई, तो यह पता चला कि यह advertisement दिल्ली से नहीं, बल्कि USA से आ रहा है। चाहे यह USA से आए या किसी और country से आए, ऐसे advertisement देने पर कैसे रोक लगाई जाए, इसे थोड़ा देखना चाहिए। मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो बताइए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) :

सर, मैं नरेश अग्रवाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा उठाया है। हम सब लोग public field में हैं और हम सब लोगों को मालूम

है कि क्या होता है। जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो हमने देखा कि यह जो Consumer Protection Act है, यह 1986 का एक्ट है। यह 31 साल पुराना एक्ट है। ज्यों ही हम सरकार में आए, हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके हमने 2015 में एक बिल लोक सभा में पेश किया। बिल के पेश करने के बाद स्वाभाविक है कि लोक सभा में उसके ऊपर discussion हुआ और उस बिल को Standing Committee में भेज दिया गया। Standing Committee के बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत कड़े सुझाव आए हैं। चूँकि यह 31 साल पुराना कानून है, तो अभी लगभग एक सप्ताह पहले कैबिनेट ने एक नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक यानी New Consumer Protection Bill, 2017 approve कर दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोक सभा में इसका introduction हो जाएगा, फिर यह राज्य सभा में भी आएगा। हम माननीय सदस्यों से केवल यही आग्रह करेंगे कि हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और Standing Committee की सारी की सारी recommendations और सब चीजों को हमने देखा है, हमारा दोनों सदनों से सिर्फ इतना ही आग्रह होगा कि इसको फिर दोबारा Standing Committee में भेज कर इसको linger करने का काम नहीं करें। बाकी आपने जो मुद्दा उठाया है और सभापति जी ने जो मुद्दा उठाया है कि तीन दिन इसे खाओ और बाल उगा लो, तीन महीने में वजन कम कर लो, चाहे वे सारे के सारे celebrities हों, चाहे कंपनीज हों, इन सबके खिलाफ इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इसमें CCPA से लेकर अन्य बातें भी हैं। मैं चाहूँगा कि यह बिल जल्द से जल्द पार्लियामेंट में आए और यह बिल पास हो जाए।

(समाप्त)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. CHAIRMAN: Now, Special Mentions; Shri Derek O'Brien. I am giving opportunity today because after 5.00 p.m., most of the Members are likely to be away.

SPECIAL MENTIONS**LOW INFANT MORTALITY RATE IN WEST BENGAL**

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, my Special Mention is on the Infant Mortality Rate in West Bengal. West Bengal has received the second prize in highest reduction in Infant Mortality Rate in the country in 2017. In 2016, West Bengal was the first among all States.

My only suggestion, taking limited time, Sir,....

MR. CHAIRMAN: Text, please.

SHRI DEREK O'BRIEN: The Infant Mortality Rate in West Bengal is 26 per 1000 births, down from 32 in 2011 and 28 in 2016. The staggering reduction in Infant Mortality Rate has been achieved due to the commitment of the State Government in improving public healthcare system in the State, including maternal healthcare and child care. This was announced at the National Summit on Best Practices and Innovations in Public Healthcare Systems organized by the Union Ministry of Health and Family Welfare.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

The IMR in West Bengal, which stands at 26, is much less than the national average of 37. I, therefore, urge the Central Government to adopt the West Bengal model in reducing Infant Mortality Rate at the national level.

(Ends)

(FOLLOWED BY KSK/1M)

KSK/SCH/11.55/1M

MR. CHAIRMAN: Now, Chaudhary Munvvar Saleem.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I just want to raise one point. It is a normal convention that Ministers respond to Special Mentions.

MR. CHAIRMAN: They will.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have given numerous Special Mentions. I have not received any response from the Ministers. I am sure, that is the experience of many other Members also. I would like you to reiterate this point.

MR. CHAIRMAN: Yes, for any Special Mention made in this House, afterwards, the Ministers should send a reply promptly to the concerned Member. That should be taken note of. I hope the Parliamentary Affairs Minister will note this.

Now, Chaudhary Munvvar Saleem, not present. Shri B.K. Hariprasad.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि चौधरी मुनव्वर सलीम जी के स्पेशल मेंशन को मान लिया जाए, उनकी तबियत बहुत खराब है। उनके स्पेशल मेंशन को आप स्वीकार कर लीजिए, वे चल भी नहीं सकते हैं।

श्री सभापति : प्रॉब्लम यह है कि a Member has to be present and he has to read. That is the practice. That is why, I called him.

**NEED FOR PROVIDING SERVICES AND OTHER
FACILITIES OF INTERNATIONAL LEVEL AT BENGALURU
INTERNATIONAL AIRPORT**

SHRI B.K. HARIPRASAD (KARNATAKA): Sir, Bengaluru International Airport Limited (BIAL) is one of the Greenfield Airports in India under PPP and within almost ten years of opening, it has emerged as South India's busiest airport and the third largest in the country. Passenger traffic grew by 22.5 per cent in 2016. The airport received 22.18 million passengers and an average 60,000 passengers every day, including cargo operations reaching new highs, with an overall growth of 9.4 per cent.

Sir, Bengaluru Airport is presently known as the 'Gateway to South India' from passenger and cargo point of view. Presently, Bengaluru has been one of the most neglected areas in India for international travel connections despite the area's burgeoning technology prowess, which

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

includes capacity constraints and lack of quality service at the airport. The lack of multi-level arrival and departure concourses at BIAL itself is likely to result in tremendous chaos.

International airport facilities for Bengaluru are essential for its continuing success in both commercial areas and in the tourist industry instead of considering airport as a land-bank.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jharna Das Baidya, not present. Shri Sambhaji Chhatrapati, not present. Shrimati Chhaya Verma.

AKG/9A

***DEMAND FOR EXPEDITING PROCESS OF CHANGING DESIGNATION OF DIPLOMA HOLDERS AS JUNIOR ENGINEERS EMPLOYED IN VARIOUS UNITS OF SAIL INCLUDING ITS MINES**

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, राष्ट्र की अग्रणी इस्पात कंपनी, सेल के भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और बोकारो प्लांट सहित माइन्स में कार्यरत तकरीबन 8 हजार डिप्लोमाधारक इंजीनियरों का पदनाम बदल कर जूनियर इंजीनियर करने हेतु मंत्रालय द्वारा 5 मई, 2017 को दिशा निर्देश जारी किया गया था। परन्तु खेद

***Laid on the Table.**

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

की बात है कि विभाग द्वारा इस मामले में अनावश्यक रूप से अत्यधिक देरी की जा रही है, जिससे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, सेल में लंबे समय से डिप्लोमाधारक इंजीनियरों की नियुक्ति डिग्रेड करके की जा रही है। इससे कर्मचारी हतोत्साहित हैं और उनका मानना है कि उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। समय-समय पर कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं से विभाग को अवगत कराया जाता रहा है, पर उनकी उचित सुनवाई नहीं हो रही है।

सदन के माध्यम से मेरी माँग है कि इस्पात कंपनी, सेल के भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और बोकारो प्लांट सहित माइन्स में कार्यरत तकरीबन 8 हजार डिप्लोमाधारक इंजीनियरों का पदनाम बदल कर जूनियर इंजीनियर करने हेतु आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जानी चाहिए, जिससे कर्मचारियों में व्याप्त निराशा समाप्त हो सके और उन्हें उनका अधिकार मिल सके। धन्यवाद। (समाप्त)

SK/9B

***DEMAND FOR WITHDRAWING DECISION OF WINDING UP OF CERTAIN UNITS OF GOVERNMENT OF INDIA PRESS IN COUNTRY**

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, the Union Cabinet took a decision to wind up most of the GI Press units, retaining only 5 units out of 17. This

***Laid on the Table.**

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

was done through the Cabinet meeting dated 29.09.2017. The Cabinet, in taking this decision, did not accept the recommendation of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Housing & Urban Affairs as is evident from their 18th Report placed in Parliament on August 10, 2017.

This decision has had a huge impact on the employees and workers of GI Press. These employees and workers have been facing attack on their livelihood for the last 30 years or so. The Parliamentary Standing Committee had recommended that all 17 units of the GI Press be continued. It had recommended in its 12th Report of 2016 that modern infrastructure, advanced machinery and increased manpower be given to these GI Press units.

At present, all units have a good number of pending jobs which can be done easily if the supply chain is maintained properly for achieving optimum productivity. Because of this decision, only one GI Press office will be retained out of the four offices in West Bengal. West Bengal will lose jobs and unemployed youths will suffer because of this decision.

We demand the Union Cabinet to reconsider its decision and implement the recommendations of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Housing and Urban Affairs in its 12th Report. (Ends)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we have done a good thing today. I am happy. I also saw in the newspapers today. One of the leading newspapers in the country stated, "Back to Business". Today, we are able to complete all the Zero Hour submissions, which were admitted by me, and also all the Special Mentions, along with one or two important urgent matters that have been brought to my notice. It is a very good practice. I compliment all the Members for doing their duty. Now, the Question Hour starts.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): माननीय सभापति महोदय, मैं भी पूरे सदन का जो सहयोग, खासतौर से विपक्ष का भी मिल रहा है, उसके लिए आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हम जो बहुत सारे बिल पास कर पाए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद।

आज, सभापति जी बता रहे थे कि विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने भी पूरे सदन का धन्यवाद किया है, क्योंकि श्री कुलभूषण जाधव के मामले में उनकी मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान सरकार ने जो दुर्व्यवहार किया, उस पर जिस तरह से सदन ने एक स्वर में उसकी निन्दा की। ... (व्यवधान)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, January 1st is a working day or holiday.

...(Interruptions)...

श्री सभापति: यह एनाउंसमेंट हो जाएगा, आप निश्चिन्त रहिए। (समाप्त)

(12.00-1.00 p.m. -- Question Hour)

PK-PSV/2A/1.00

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an advice. Today, with great difficulty, we could reach seven questions. I request all the Members to be crisp in their questions because there are all sensible people in the House, both sides, and, then, the Ministers also should be sharp in giving replies. Members are knowledgeable and Ministers are also knowledgeable, but the problem is time. Keep that in mind.

SHRI JAIRAM RAMESH: Ministers should not give political replies.

MR. CHAIRMAN: Please don't make comments. Neither Members nor Ministers should make political comments while asking questions and also replying to questions.

Now, there is one announcement.

ANNOUNCEMENT RE. HOLIDAY ON 1st JANUARY, 2018

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सभापति जी, सदन 1 जनवरी को छुट्टी के बारे में जानना चाहता है। मैं सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों सभी दलों के सांसदों ने यह सुझाव दिया था कि 31 दिसम्बर को छुट्टी के बाद 1 जनवरी को सदन की बैठक/कार्यवाही न हो। विशेष रूप से, जो सांसद दूर के स्टेट्स से आते हैं, नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों से आते हैं, उनका और ज्यादा कहना था। अतः यह

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

निश्चित किया गया है कि 1 जनवरी को सदन नहीं बैठेगा और इसकी भरपाई हम अन्य दिनों के अन्दर थोड़ा लेट बैठ कर कर लेंगे।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Thank you. The House stands adjourned till 2.30 p.m.

.....

**The House then adjourned for lunch
at one minute past one of the clock.**

PB-VNK/2.30/2B

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Private Members' Legislative Business. Bills for introduction.

BILLS INTRODUCED

THE LABOUR (WELFARE AND REHABILITATION) BILL, 2017

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I move for leave to introduce a Bill to establish a Labour Welfare and Rehabilitation Authority to look into the dynamic trends in the labour market, provide for schemes to give interest free loans to workers unemployed for certain periods, issue guidelines for social sector schemes including universal basic income for all working in

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

private and public sector, provide for wages during non-work time for seasonally employed workers, provide for hardship bonus for plantation workers, formulate schemes for rehabilitation of workers of closed industries and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VIVEK GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

THE WOMEN (EMPOWERMENT AND WELFARE) BILL, 2017

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I move for leave to introduce a Bill to establish a Women Empowerment and Welfare Authority to provide for monthly incentive schemes for girl children, to delay marriage until the age of twenty one years, special saving schemes for women with higher rate of interest inclusive of annual bonus if husband is non-alcoholic, special fund for micro credit schemes, guidelines for mobile healthcare facilities for agricultural labour, regulation of private placement agencies, schemes for widows and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VIVEK GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

**THE URBAN AREAS (EQUITABLE DEVELOPMENT AND
REGULATION) BILL, 2017**

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I move for leave to introduce a Bill to establish an Urban Areas Equitable Development Authority to provide for clean, hygienic maintenance of environment and public spaces, resettlement of people living in slums in decent housing facilities, issuing guidelines for employment of people in slums in the reconstruction activities, facilitating system of self policing among citizens, proper underground drainage and sewerage network, dedicated paths for pedestrians and cyclists, formulate policies for subsidising cycles and promoting eco-friendly transport, creation of community markets for hawkers and their resettlement in metro stations and subways, issuing licenses to hawkers, providing for minimum standards to be maintained by private hostels and paying guest accommodations and recommending their compulsory registration, framing guidelines for ensuring equal redistribution of economic and work opportunities in urban areas and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VIVEK GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

**THE RIGHTS OF PERSONS AFFECTED BY LEPROSY AND MEMBERS
OF THEIR FAMILY (PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION AND
GUARANTEE OF SOCIAL WELFARE) BILL, 2017**

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I move for leave to introduce a Bill to protect the human rights of persons affected by leprosy, to eliminate discrimination against them and their families, to promote their social welfare, to take steps for the prevention and control of leprosy and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

(Followed by 2C/SKC)

SKC-NKR/2C/2.35

THE PROTECTION FROM LYNCHING BILL, 2017

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for effective protection of the constitutional rights of vulnerable

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

persons, to punish acts of lynching, to provide for designated courts for the expeditious trial of such offences, for rehabilitation of victims of lynching and their families and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, The Compulsory Protection of Witnesses and Victims of Crimes Bill, 2017; Shri Rajkumar Dhoot - not present. The Heritage Cities and Sites (Conservation and Development) Bill, 2017; again, Shri Rajkumar Dhoot - not present. The Environment Protection (Management of Landfill Sites and Control of Non-Biodegradable Garbage) Bill, 2017; Shri Rajkumar Dhoot - not present. Now, Shri Husain Dalwai.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017
(AMENDMENT OF ARTICLE 15)**

SHRI HUSAIN DALWAI (MAHARASHTRA): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

**THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND
COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2017**

SHRI HUSAIN DALWAI (MAHARASHTRA): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

THE INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2017

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, The Constitution (Amendment) Bill, 2016 (insertion of new article 16A); Shri Vishambhar Prasad Nishad to move the Bill for consideration.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2016
(INSERTION OF NEW ARTICLE 16A)**

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, से मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैंने राज्य सभा में 18 नवंबर, 2016 को संविधान संशोधन विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया था। संविधान के अनुच्छेद 16 के पश्चात् 16(क) अंतःस्थापित किया जाए। प्रत्येक नागरिक जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे रोजगार पाने का अधिकार होगा। परन्तु ऐसा कोई नागरिक जिसे रोजगार नहीं दिया जाता है, ऐसी दशा पर बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 69 वर्षों के पश्चात् भी भारत की 27 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है और बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। हमारे समाज का एक बड़ा तबका बेरोजगार है। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के कारण हमारे नवयुवक स्वयं को जीवित रखने के लिए कट्टरपंथी, आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में

शामिल हो जाते हैं, अपहरण, डकैती, लूट जैसी अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।

(2D/DS द्वारा जारी)

DS-KSK/2.40/2D

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : जो देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए समय आ गया है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो। इसके अलावा, नागरिकों को रोजगार दिए जाने तक उन्हें बेरोजगारी-भत्ते की संदायगी का भी प्रबंध किया जाए। उससे युवा पीढ़ी को वित्तीय रूप से मदद मिलेगी और वे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के बजाय स्वयं को राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगाएँगे।

महोदय, हमारा देश 130 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश को आज़ादी दिलाने में युवाओं का बड़ा हाथ रहा है। हमारे देश के स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी और महान नेताओं, जैसे चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, अशफ़ाक उल्ला एवं उनके हजारों नौजवान साथी हँसते-हँसते फाँसी के फंदे पर झूल गए और हमें आज़ाद भारत दे गए, लेकिन आज हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इस समय देश में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, जिनमें से 20-24 वर्ष की उम्र के लगभग 25 प्रतिशत लोग हैं और 25 वर्ष की उम्र से लेकर 29 वर्ष की उम्र तक के लगभग 27 प्रतिशत से अधिक

लोग हैं। "संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन" की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।

महोदय, भारत एक कृषि-प्रधान देश है, लेकिन देश का किसान आज घाटे की खेती कर रहा है, क्योंकि कृषि में लागत मूल्य से कम कीमत पर किसान की उपज बिक रही है। देश में कुटीर-धंधों को पहले बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन आधुनिकीकरण होने के कारण देश में कृषि-कार्य से जुड़े करोड़ों मजदूरों के रोजगार छिन गए। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि प्रजापति कुम्हार पहले कुल्हड़, घड़ा, दीप तथा खिलौने आदि बनाते थे, जिनका स्थान आज उद्योगपतियों ने ले लिया है। गाँवों में पहले बैलों से खेती होती थी, किसान खुद हल चलाता था, जिसके कारण बढ़ई और लुहार को भी काम मिलता था, लेकिन ट्रैक्टर आ जाने से वे सब बेरोजगार हो गए। पहले जब नदियों पर पुल नहीं थे, तो नावों द्वारा यात्रियों को लाने-ले जाने व माल-भाड़ा ढोने का काम निषाद, मछुआ, केवट, मल्लाह करते थे, लेकिन अब बालू, मोरम खनन, मत्स्य आखेट पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और उससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए।

मान्यवर, बेरोजगारी का हाल यह है कि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में 13,684 पदों के लिए 50 लाख आवेदन आए थे। उनमें 2 लाख से अधिक आवेदक ऐसे थे, जिनमें से कोई पी.एच.डी. था, कोई बी.टेक. था, कोई स्नातक था, तो कोई हायर एजुकेशन का स्टूडेंट था। इसी तरह, वर्ष 2016 में पंजाब की भटिंडा कचहरी में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

शैक्षणिक योग्यता वाले 18 चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों के लिए माँगे गए आवेदनों में 8,000 नवयुवकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 50 से अधिक अभ्यर्थी बी.टेक. थे तथा हजारों अभ्यर्थियों की न्यूनतम वांछित योग्यता से अधिक योग्यता थी। मान्यवर, यह बेरोजगारी का हाल है।

महोदय, आज शिक्षा इतनी महँगी हो गई है कि गरीब आदमी उसका खर्च वहन नहीं कर पा रहा है। सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। "मिड-डे मील" का बहुत बुरा हाल है। खाने के चक्कर में देखने को मिलता है कि तमाम जगहों पर स्कूल्स नहीं हैं। जहाँ स्कूल हैं, वहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे तमाम वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि बच्चे मिड-डे मील खाने के बाद नदी का पानी पी रहे हैं। मान्यवर, कुछ लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए घर, जमीन, जेवर आदि गिरवी रखकर साहूकारों व बैंकों से ऋण लेते हैं, लेकिन वे बच्चे नौकरी न मिलने के कारण हताश व निराश हो जाते हैं और उनमें से बहुत-से बच्चे आत्महत्याएँ कर रहे हैं।

मान्यवर, वर्ष 2014 में चुनाव के समय हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ। वर्ष 2012 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 10 वर्षों में 60 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्ष 2017 है और वर्ष 2019 में चुनाव होने

हैं, जबकि इन्होंने वर्ष 2022 का लक्ष्य रखा है कि हम इतने नौजवानों को रोजगार देंगे। मान्यवर, यह कैसे संभव होगा?

मान्यवर, 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किए जाने की माँग की गई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो श्रम संगठन हैं, उन्होंने सरकार से क्या-क्या सिफारिशें की थीं?

(2ई/एससी पर जारी)

SC-GSP/2.45/2E

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : और उनकी कौन-कौन सी सिफारिशें विचाराधीन हैं? महोदय, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव सरकार के समय में जो 1 लाख 72 हजार शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे, उन्हें नौकरी मिल गयी थी, लेकिन वहां पर योगी सरकार के बनते ही उन्हें हटा दिया गया। इस कारण से वे तमाम लोग परेशान हैं और वहां पर 12 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह से देश में कम मजदूरी पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, रसोइया, रोजगार सेवक काम कर रहे हैं तथा ब्लॉकों में डिग्रीधारक जेईज को बहुत कम संविदा पर रखा गया है, उन्हें बहुत कम तनखाह दी जा रही है। इनसे तमाम आवश्यक कार्य, चाहे चुनाव आ जाएं, कहीं बाढ़ आ जाए या जनगणना का काम हो, वे सब काम लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें minimum wages से भी कम तनखाह दी जाती है। मेरी मांग है कि चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, उन्हें regular किया जाए।

मान्यवर, देश के राज्यों में "मनरेगा" की धनराशि इस समय नहीं दी जा रही है। कई महीनों से मजदूर परेशान है, उनका पैसा बकाया है। महोदय, "मनरेगा" में रोजगार न देने पर जॉब कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? महोदय, साल में 365 दिन होते हैं, जिनमें से मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गयी थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है?

मान्यवर, श्रमायुक्त (केन्द्रीय) प्रवर्तन मुख्य द्वारा तथा राज्यों के श्रमायुक्तों द्वारा न्यूनतम मजदूरी तथा समान काम में महिला एवं पुरुष मजदूरी में असमानता है। मैं बताना चाहता हूँ कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष में अंतर कर दिया गया है। समान काम के लिए महिला को 250 रुपए और पुरुष को 350 रुपए मजदूरी दी जाएगी। इस देश में महिलाओं की आधी आबादी है इसलिए उन्हें बराबर मानदेय या मजदूरी दी जानी चाहिए।

महोदय, गत वर्ष नोटबंदी हुई तो उसके बाद 60 लाख लोग परेशान हुए और 15 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गयीं। कृषि उत्पाद का मूल्य बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों द्वारा दैनिक आधार पर सरकार निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय पांच सितारा होटल में बैठकर ऐसे अधिकारी किसान की फसल का कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारित करते हैं, जिन्हें जमीनी ज्ञान नहीं होता, इसलिए

कई राज्यों में बेकारी और घाटे की खेती के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। हमारा बुंदेलखंड भी उसका शिकार है।

मान्यवर, निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में, 2016 में "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना" स्किल इंडिया" योजना केवल कागज़ों पर सिमटकर रह गयी है। बुंदेलखंड के जनपद बांदा में केवल 6 सेंटर हैं, चित्रकूट में 2 हैं, हमीरपुर में 10 हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, जहां सूखा है, अकाल है, वहां बहुत परेशानी है क्योंकि जो franchisees हैं, वे बड़े उद्योगपति हैं और वे नहीं चाहते कि बुंदेलखंड में, त्रिपुरा में, असम में, जहां पर लोग कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं, वहां पर उन्हें technical शिक्षा दी जाए, उन्हें "स्किल इंडिया" के अंतर्गत लाएं और उन्हें placement दें।

मान्यवर, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जो लेबर एक्ट है, उसके तहत 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए। हम पूरे देश में देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुजरात हो - अभी हम वापी गए थे, सूरत गए थे, वहां पर हमने देखा कि मज़दूरों से 12 से 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है। इसी प्रकार महिलाओं से 10 घंटे ड्यूटी करायी जा रही है और उसके बदले में उन्हें केवल 300 रुपए दिए जा रहे हैं। वहां पर ठेकेदारी प्रथा है, उनसे contract पर मज़दूरी करायी जाती है। हम चाहते हैं कि जो कानून बना है कि आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए।

मान्यवर, अभी हमने देखा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी में कार्यरत संविदा श्रमिकों का पैसा श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा,

ईएसआई एक्ट, 1948 के अंतर्गत जमा नहीं किया गया और उनकी लाखों रुपए की धनराशि की आपस में बंदरबांट हो गयी है। इस बारे में खुलासा हो गया है। इस तरह से जो देश के ठेकेदार हैं, वे तमाम लोगों से मज़दूरी कराते हैं और उसके बाद मज़दूरों की मज़दूरी हड़प लेते हैं।

मान्यवर, बेरोज़गारी की समस्या के कारण क्या हैं? मंदा औद्योगिक विकास, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सैद्धांतिक शिक्षा पर केन्द्रित रहना, उद्योगों में गिरावट, कृषि मज़दूरों के लिए वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों की कमी एवं तकनीकी उन्नति न होना - ये सब इसके कारण हैं। मान्यवर, बेरोज़गारी केवल लोगों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि देश की विकास दर को भी प्रभावित करती है।

(2एफ-जीएस पर जारी)

SK-GS/2F/2.50

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : इसका देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, मैं आपको बेरोज़गारी के कुछ नकारात्मक प्रभाव बताना चाहता हूँ। बेरोज़गारी से अपराधों की दर में वृद्धि होती है, गरीबी में वृद्धि होती है, रहन-सहन का मानक खराब होता है, कौशल और हुनर का नुकसान होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। मान्यवर, मानसिक विकास के मुद्दे ... (समय की घंटी) ... धीमा आर्थिक विकास..

श्री उपसभापति : निषाद जी ..

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ...(समय की घंटी) ...

श्री उपसभापति : निषाद जी, अंत में आपको रिप्लाइ करने का मौका भी मिलेगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: जी।

श्री उपसभापति : इसलिए अभी ...(व्यवधान)... You see, the time is only two hours and there are other speakers also. If you consume full time, what will other speakers do? Being the mover, you should listen to others also. So, give them time, you understand that because you have a right to reply.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, ठीक है।

श्री उपसभापति : आपको इसका रिप्लाइ करने का मौका भी मिलेगा। इसका मतलब है कि a mover should listen to others. So many speakers are there.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, समाजवादियों का नारा रहा है और लोहिया जी ने कहा था कि..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Do you understand the point? What I am saying is, ..(Interruptions)..

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : बेरोजगारों को रोजगार दो, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दो। मान्यवर, यह हमारा नारा रहा है।

श्री उपसभापति : निषाद जी, आप मेरी बात को समझिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने और माननीय अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया था, तो ...

श्री उपसभापति : निषाद जी, आप मेरी बात सुनिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हम इसलिए यह बिल लाए हैं कि पूरे देश के नौजवान परेशान हैं।

श्री उपसभापति : निषाद जी, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। When you are moving a Bill, you are in a position of a Minister here. What you want is to muster the support of others. So, you should allow others to speak. If you have more things to say, you say it in the end. That is the best way. Otherwise, others will not get the opportunity to speak.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह नौजवानों से, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ मेरा Private Member's Bill है, इस पर सब लोग बोलें और इसको सपोर्ट करें। एक ऐसा कानून बने कि सभी नौजवानों को रोजगार की गारंटी मिले। जब तक उनको रोजगार न मिले, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। मान्यवर, यह मेरा प्रस्ताव है।

(समाप्त)

The question was proposed

श्री उपसभापति : धन्यवाद। Message from Lok Sabha.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, can I ask a question?

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you after this.

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 29th December, 2017, has adopted the following motion further extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016:-

MOTION

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 upto the first day of the last week of the Budget Session, 2018."

(Ends)

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there are some Bills listed in today's Revised List of Business. Is it the intention of taking up some Bills also today?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Not the Private Member's Bill, the Government Bill.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Not this, Sir, we are talking about the Government Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, Private Member's Business will go up to 5.00 p.m. At 5.00 p.m. you can raise this.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no, Sir. Please. You have to give us clarity on this because, Sir, this is not right, this is not fair. ..(Interruptions).. Are these Bills going to be taken up today or not?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you sit down. I will tell you. The point is, it is not proper to ask me to give a reply now. At 5.00 p.m., I will take the sense of the House. ..(Interruptions)..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: There will be nobody in the House. ..(Interruptions).. There will be nobody in the House at that time. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You say this at that time. ..(Interruptions).. You see, I am doing it in a democratic way. ..(Interruptions)..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Since when have we started taking up Government business? ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ..(Interruptions).. When the Chair stands up, you should sit. Don't you know that? ..(Interruptions).. When

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

the Chair stands up, you should sit. I will explain this. You are asking this question now. But the Chair has no right or authority to say whether at 5.00 p.m. we will take this up or not because the time is up to 6.00 p.m. The Chair's duty is to put the question to the House at 5.00 p.m, and if there is no consensus to discuss ..(Interruptions)..

SHRI JAIRAM RAMESH: What you are saying is correct. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for the Government to decide. That is my point.

SHRI JAIRAM RAMESH: So, you have let the cat out of the bag because what you are saying is, this is going to continue till 5.00 p.m., the House is going to sit till 6.00 p.m. Therefore, from 5.00 to 6.00, these Bills will be taken up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I did not say that. ..(Interruptions).. I did not say that. Let us be very clear.

(Contd. by YSR/2G)

YSR-HMS/2.55/2G

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): What I said is this. What the Chair at best can do is that it can put the question at 5 o'clock whether to take up the Government Business or not. ...(Interruptions)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: No, no. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You say 'no' at that time. ...(Interruptions)...

Why do you say it now? ...(Interruptions)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, I am asking one question.

...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, in the morning meeting with the Chairman, the issue was raised and many suggestions were made. The overwhelming opinion was not to take up the Bills today. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree.

SHRI D. RAJA: I understand that is the consensus.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I didn't say that I will take up the Bill.

...(Interruptions)... I only said that I would put the question at 5.00 p.m.

...(Interruptions)... Isn't it my duty? ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : नीरज जी, आप बैठिए।

श्री नीरज शेखर : यह नई परंपरा कब से शुरू हो गयी, शुक्रवार को Government Business कैसे आने लगा? सर, यह नई परंपरा है।

श्री उपसभापति : आप सुनिए, मैंने आपको सुन लिया। मुझे भी परंपरा की जानकारी है, परंपरा यही है कि 5 बजे the Chair will ask whether we should sit for

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Government Business or not. Then the House should say so if they don't want it. I have no problem. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : सर, पहले कभी शुक्रवार को Government Business नहीं लिया जाता था। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Say that at that time. ...(Interruptions)... I am only trying to do my duty. It is for the Government to say that they don't want any Bill today. ...(Interruptions)... Do you understand the difference? ...(Interruptions)... I will ask the Government. ...(Interruptions)... But this should be very clear. ...(Interruptions)... You should not go with the impression that the Chair tried to thrust upon a Bill which the House did not want. ...(Interruptions)... That is not the position. ...(Interruptions)... The Chair can go according to the established procedure or the rule. The time is up to 6.00 p.m. I cannot otherwise say that the Government Bill cannot be taken up. I cannot do that. But the Government can say...(Interruptions)... I will ask them. ...(Interruptions)... The Government can say that. What I said is the Chair's position. Now I am asking the Government to please clarify this. Would you like to sit after 5.00 p.m. to pass one more Bill or not? ...(Interruptions)... What is the Government's position? He will say that. It is not my job.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : सर, मैंने आज ही सभी सदस्यों का सदन में इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आप सब का बहुत सहयोग मिल रहा है और हम सदन को आम सहमति से ही चलाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट को कहो कि वह बिजनेस न करे, यह ठीक नहीं है। इसलिए 5 बजे आप से राय ले लेंगे। ..(व्यवधान).. हम 5 बजे आप से पूछ लेंगे, जो आपकी राय होगी, हम उसी पर चलेंगे।

श्री नीरज शेखर : माननीय मंत्री जी, हम लोग कब से शुक्रवार को Government Business करने लगे हैं?

श्री विजय गोयल : आप यही बात 5 बजे कहेंगे तो ठीक रहेगा ..(व्यवधान)..

श्री नीरज शेखर : मुझे भी सदन में 3 साल हो गए हैं।

श्री विजय गोयल : आप अभी जानना चाहते हैं? ..(व्यवधान)..

श्री नीरज शेखर : हां, अभी जानना चाहते हैं। आप कहें तो मैं 10 बजे तक बैठने को तैयार हूं। ..(व्यवधान).. हम तो जयराम रमेश जी से सीखते हैं। ये सुबह आते हैं और जब सदन उठ जाता है, तब जाते हैं। हम लोग तो इन से सीख रहे हैं, लेकिन यह परंपरा नहीं रही है। यह नई परंपरा है।

श्री विजय गोयल : इस में नई परंपरा की बात नहीं है। यह हाउस सब से बड़ा है और हाउस कुछ भी तय कर सकता है और यह कहीं नहीं लिखा है कि Friday को गवर्नमेंट बिजनेस नहीं हो सकता। ..(व्यवधान).. रमेश जी, मेरा आप से यह कहना है कि 5 बजे आप जैसा तय करेंगे, हम वैसा करेंगे।

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I would like to make one suggestion. Today, there are very important Private Members' Bills. Extend the time for Private Members' Bills from 5.00 p.m. to 6.00 p.m.

SHRI VIJAY GOEL: Okay, Sir. As you like. अगर आप उस समय आप कहेंगे, तो हम मान लेंगे। ..(ब्यवधान).. अगर आप उस समय यह कहेंगे, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, these are very important Bills. ... (Interruptions)... They are on employment... (Interruptions)...

SHRI VIJAY GOEL: Private Members' Bills are also important. ... (Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, extend the time for Private Members' Bills from 5.00 p.m. to 6.00 p.m.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anyhow, without taking your consensus or opinion, we will not do anything. I can assure you this. I will not steamroll it. I will not enforce it. I can assure you this.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What are you doing? What is your point of order? I have to listen to the point of order. (Followed by VKK/2H)

-YSR/VKK-ASC/2H/3.00

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, you have spoken about rules. Many rules have been discussed and many *paramparas* have been discussed. What I want to say is that every morning, we sit and we decide about the day's Business and we also take some decisions. The decision in the presence of the hon. Chairman was that today, we will take up only Private Members' Business and no Government Business will be taken up. ... (Interruptions)... आप बाद में बोलना, पहले मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)....

I also have confirmed with the hon. MoS for Parliamentary Affairs and he also has assured. ... (Interruptions)... Rajaji, please. ... (Interruptions)... Now, on the last Friday and on earlier Fridays also, that decision was honoured. It is a gentleman's agreement. It was honoured. So, I want that this should be honoured today also.

Secondly, Sir, there are umpteen number of occasions when the House is adjourned before 5 o'clock or before 6 o'clock. There are umpteen number of examples when the House was adjourned before 6 o'clock or even before 5 o'clock. So, there is no hard and fast rule that we should continue up to 6 o'clock. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I never said that. ... (Interruptions)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the reason is that it being a long holiday, many of the hon. Members have already left. So, if you ask at 5 o'clock and there are only a few Members here and more Members there, they may say, "No, no. We will take up Government Business." That will be going back on what was decided in the morning meeting before the hon. Chairman, Rajya Sabha. Thank you, Sir.

(Ends)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : सर, गवर्नमेंट के सभी ऑप्शन्स खुले हैं। पहली बात तो यह है कि सदन का समय 6.00 बजे तक है, 5.00 बजे सिर्फ प्रैक्टिस है। ...(व्यवधान)....

श्री भुवनेश्वर कालिता : चेयरमैन सर ...(व्यवधान)....

श्री विजय गोयल : पहले आप मुझे पूरा करने दीजिए।...(व्यवधान).... अब आप मुझे पूरा करने दीजिए। ...(व्यवधान).... मैं बीच में नहीं बोला था। ...(व्यवधान)....मुझे पूरा करने दीजिए।

दूसरी बात यह है कि अभी हमने एक तारीख की भी छुट्टी की है। वह भी सेन्स ऑफ दि हाउस था, इसीलिए एक तारीख की छुट्टी की गई है। उसके लिए मैंने उस समय भी यह कहा था कि जब जरूरत होगी, समय बढ़ाया जाएगा ।

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

तीसरी बात यह है कि हाउस का मतलब यह नहीं है कि मेजॉरिटी है, हाउस का मतलब आप सब लोग हैं और सेन्स का मतलब है कि हर पार्टी का ध्यान रखते हुए करेंगे, तो इसलिए आप यह निश्चित मानिए कि जैसा आप चाहेंगे, हम वैसा ही करेंगे।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's it. Then, there is no problem. ... (Interruptions)... Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu. You may take fifteen minutes.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2016
(INSERTION OF NEW ARTICLE 16A) -Contd.**

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Respected Deputy Chairman, Sir, I offer lots of appreciation to my colleague from Bundelkhand, Vishambhar Prasad Nishadji, for bringing in this Bill of a private nature to incorporate a new Article 16A into the Indian Constitution to expand the gamut of the right to employment which will seek universal unemployment allowance and enhance the confidence of aspiring and unemployed population of the country.

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI BASAWARAJ PATIL, in the Chair)

During the UPA regime, for ten years, 14 crore people in the agrarian sector were provided with employment stipend and helped in creation of

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

huge assets across the country. It brought 14 crore people from lower level of living standards to the upper level. (Contd. by RL/2J)

-VKK/RL-DS/3.05/2J

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.): This is the global example which is facing a dangerous threat for the last three-and-a-half years. The agricultural labourers throughout the country are in distress because of the step-motherly treatment of the Union Government towards their right to employment. In this backdrop, Shri Nishad is wishing to have universal unemployment allowance in the country. If there is a dearth of sustained development, that is very well recorded. But that employment complication, the unemployment bomb is ticking in India. Sustained unemployment is a grave threat to our Indian economy. In this backdrop, 2014 General Elections were of aspiration, huge expectation and heightened imagination. That can be called in Hindi '*Jumla*'. With that, the aspiring unemployed Indian youth were expecting to get employment wherever they go, wherever they wish, whatever sector they want to be into. But, the promise of 2 crore employee assignments in a year has come down to not more than 80,000 per year. This is the greatest complication which needs to be understood while discussing the Bill of Shri Nishad. Ours is the mammoth population.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

We have 130 crore population. From that, 55 per cent of the population is between 18 and 55 years of the age. That is the employable age. That is the insurable age. That is the natural aspiring age. The dependant population is just 13 per cent if we calculate from 55 and upwards. And, younger children population is just 12 per cent. In between, this 55 per cent population has an aspiration to get their due share. Are they getting it in India? If we look at the inequality graph across the globe, India is standing at 55 per cent of its denial rate. Within Indian economy, inequality is drastically growing.

(CONTD. BY DC/2K)

-RL/DC-AKG/2K/3.10

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.): That is the dangerous challenge which may warrant civil wars, public demonstrations leading into movements, agitations and struggles. How are we looking towards them? So far, we could find no comprehensive measure to look at, to understand and to address the complication in a measured way. In our country, one per cent of the richest own 59 per cent of the wealth. Ten per cent of the richest are the owners of 80 per cent of the Indian economy. In this established Indian inequality graph, only when you can provide employment, there is peace, there is satisfaction and then there is harmony. Are we moving

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

towards that line? That is the pertinent question inherently imbibed in my colleague, Nishadji's private Bill. If we understand the efforts of the present Union Government, their mission after mission are in a derailed condition. Their Skill India is leading to nowhere. They could not comprehend how exactly they shall look at the complications of unemployment, under-employment and employability of the grown-up, readily available population and the level of skill upgradation to the available human resource. Yes, the present Union Government tried to cosmetically reshape a Ministry into Skill Development Ministry by amalgamating several earlier available programmes of U.P.A. but, in their design itself, they are erroneous. Our Labour Minister is here, Social Empowerment Minister is here, but here, the Rural Development and Urban Development Minister shall also show some interest through this, to, at least, understand the gravity of the ready-to-explode unemployment bomb within their Ministries. Within the rural employment, the weavers and artisans of several types, those who are having occupational scope, those who are involved in family and cottage industries, are in total distress. If you look towards handloom sector or tailoring business, which is the lowest level of garment making, fabric and apparel sector, they are in distress. These are in a totally under-employed

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

condition. Even after their eight to ten hours of hard labour involving the entire family, weavers, other artisans and tailors are not able to get proper food and medicare for their people and family. There were several demands, in particular, to begin with, after the agricultural labourers, to kindly include weavers, tailors and other artisans of rural and semi-urban population under Right to Employment coverage.

(Contd. by KS/2L)

KS-SCH/2L/3.15

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (contd.): If you treat weavers and artisans as the landless, semi-skilled labour, there is a possibility of their being covered under the Right to Employment as occupational dependants in the rural population. UPA brought the Right to Employment Act. At that moment, with whatever resources that were available, we could do justice to the agrarian sector, including the rural labour. Now, you have the opportunity to expand the coverage of the Right to Employment by bringing these weavers and artisans under its gamut. To begin with, at least, give them 100 days' employment so that they can get into some productive activity, earn some money and live with self-respect. This is a demand which I personally pursued with the Labour Ministry. I made representations

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

in the House and I raised it outside through huge public demonstrations in Hyderabad and Delhi and in several other places for bringing weavers, tailors, artisans, etc., under ESI's medical cover. By removing the 'industrial unit' clause, you can easily support these people through the ESI medical cover which would be a great benefit and which would provide health security to a large population of the country. We have several challenges. In particular, unemployment is leading to social challenges too. These social challenges are resulting in several movements. Keeping these factors in view, I request the Minister of Labour in this regard. I also request the hon. Minister for Social Empowerment to support him. I request both of you sensitize the hon. Prime Minister, the Rural Development and Urban Development Ministers for expanding the coverage of the Right to Employment Act. To begin with, initiate it with the readily available educated and employable people. This would come up to the expectations of my brother Nishadji about a universal unemployment allowance. I appreciate the initiative for the insertion of new article 16A in the Constitution. If the Union Government shows the generosity to encourage Nishadbhai, please take it up as a Government Bill and create history. Thank you very much and all the best!

(Ends)

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : थैंक यू, आनंद भास्कर रापोलू जी, आपने निश्चित समय के अंदर अपनी बात समाप्त की। Shri Ajay Sancheti; not present. Dr. Vikas Mahatme; not present. Shri Mahesh Poddar.

(2M/RPM पर आगे)

RPM-RSS/2M/3.20

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय सदस्य, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी द्वारा प्रस्तुत अत्यन्त महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016, जिसमें 16ए के माध्यम से एक धारा के प्रविष्ट करने का प्रावधान करने के लिए कहा गया है, उस पर बोलने का मौका दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रस्ताव की भावना अच्छी है कि देश में बेरोजगारों को कुछ मदद मिले, लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि इसमें जो रास्ता बताया गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस रास्ते से इस समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार माननीय राम मनोहर लोहिया जी ने भी कभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं कही थी।

महोदय, हम सब यह मानते हैं और यह तथ्य भी है कि इस देश में अधिकांश लोग कृषि के रोजगार में लगे हैं। इस सरकार ने, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि हम कृषकों की आमदनी को दोगुना करेंगे और जब उनकी आमदनी को दोगुनी करने का बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखा है, तो यह स्पष्ट है कि इस देश में

नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और वे सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि खेती के बाहर भी, अन्य क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन कर के और प्रोसेसिंग वगैरह कर के उपलब्ध होंगे।

महोदय, इस सरकार ने लक्ष्य रखा है- हर हाथ को हुनर, हर पेट को अनाज, हर घर में बिजली, हर घर तक पानी, हर घर तक सड़क और हर परिवार तक बैंक खाते के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा देना। ये योजनाएं अपने आप में काफी बड़ी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। ये ऐसी योजनाएं हैं, जहां कि आंकड़ों का कोई खेल नहीं है। यदि सरकार कहती है कि वर्ष 2022 तक हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, तो उसमें कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितने लाख घरों में बिजली पहुंचेगी और कितने में नहीं पहुंचेगी, बल्कि हर घर तक बिजली पहुंचनी है। यदि हम यह कहते हैं कि हर घर तक हम सड़क पहुंचाएं या हर गांव तक सड़क पहुंचाएंगे, तो यह भी आंकड़ों का खेल नहीं है। गांव कितने हैं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं होगा, जिसे हम सड़क से नहीं जोड़ेंगे। जब इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि इनकी वजह से बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, माननीय निषाद जी ने कहा कि 13 हजार पदों के लिए लाखों आवेदन आए। हां, यह बात सही है कि हमें विरासत में ये चीजें मिली हैं जिनके कारण छोटे-छोटे पदों के लिए पीएच.डी. और डॉक्टरेट किए हुए लोग आवेदन देते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। इसे कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा कि अब तक हम ऐसा करते आए हैं, लेकिन हम यह भी स्वीकार करें कि साथ ही साथ विगत वर्षों में उच्च शिक्षा के बहुत

अधिक संस्थान खुल रहे हैं। इसके कारण कुछ राज्यों ने अभी मना किया है और केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि हमारे राज्य में नए इंजीनियरिंग कॉलेज मत खोलिए। इसका कारण यह है कि उनके यहां जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हैं, उनमें लगभग आधी सीटें खाली जा रही हैं और जो इंजीनियर वहां से बनकर निकल रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराना और जो ट्रेडिशनल बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी देना उनके लिए एक चैलेंज है।

महोदय, शिक्षा महंगी हो रही है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जब से मिड-डे मील वगैरह की योजनाएं लागू हुई हैं और जब से हमने गांवों में ड्रॉपआउट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तब से ड्रॉपआउट रेट कम हुआ है और बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। सारे राज्यों में शिक्षकों की भर्ती प्राथमिकता का विषय है और सारे राज्यों में स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं और इसके साथ-साथ स्कूलों में शिक्षा भी बढ़ रही है। हम कई और माध्यमों से उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, हम अपने नौजवानों को स्वतंत्रता देने के बजाय उन्हें बेरोजगारी भत्ता देकर आश्रित बनाने का विचार न रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं आत्म-सम्मान का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है।

महोदय, मैं इस सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय अरुण जेटली जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने देश में "मुद्रा योजना" चालू की है। यह योजना जिस समय चालू हुई थी, उस समय लोगों ने यही सोचा था कि शायद यह भी सरकार की अन्य योजनाओं की तरह ही कोई योजना होगी, लेकिन आज

हम देख रहे हैं कि वर्ष 2017-18 तक इस योजना के अन्तर्गत कई लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और धीरे-धीरे मुद्रा योजना का फायदा लेकर के सिर्फ नौजवान ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का मनोबल ऊंचा हो रहा है और उन्हें अपना काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

(1 एन/पीएसवी पर जारी)

PSV-KGG/2N/3.25

श्री महेश पोद्दार (क्रमागत): सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी रोजगारी के लिए, अपने पेट के लिए वे सरकार की तरफ नहीं देख रहे हैं, वे खुद अपनी हिम्मत के भरोसे, बिना सिक्युरिटी के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए अपनी हिम्मत के साथ आसान ब्याज दर पर बैंक लोन लेकर खुद का रोजगार, खुद का व्यवसाय चला रहे हैं।

महोदय, मुद्रा स्कीम में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ गरीब से गरीब लोग आज अच्छे से जीवनयापन कर रहे हैं और कहीं कोई भूजा बेचने वाला या सड़क के किनारे फूटपाथ पर किराने की दुकान खोल कर व्यवसाय करने वाला और चाय बेचने वाला, जो मुश्किल से 100, 200 या 400 रुपये कमाता था, आज वे 10-20 हजार रुपये महीने की कमाई कर रहे हैं और उनका स्तर भी ऊँचा हो रहा है। इसलिए यह भी रोजगार सृजन का एक बड़ा साधन है।

आज हम मानते हैं और हम ही क्या, सारी दुनिया भारत का लोहा मानती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग भी कहती है कि भारत 2018 तक यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ कर दुनिया की पाँच बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक हो जाएगा तथा 2032 तक तीन

इकोनॉमीज़ में से एक हो जाएगा। महोदय, एक चाइनीज़ कहावत है कि "Give a man fish and you feed him for the day but if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime." मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): एक मिनट। आपको एक मिनट में समाप्त करना है।

श्री महेश पोद्दार: धन्यवाद, सर। इसको हम एक मूल मंत्र मानें कि हमें रोजगार सिखाना है, न कि हमें उसे आश्रित करना है। महोदय, आज मनरेगा एक ऐसी योजना है, जिसमें हर महीने कितने लाख मानव दिवस सृजित हो रहे हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसमें जो विसंगतियाँ थीं, उन्हें हमने डीबीटी के माध्यम से काफी दूर कर दिया है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन ने आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ कर अपने आपको दुनिया की फैक्टरी बना दिया और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। चूँकि बेरोजगारी की समस्या हमसे भी ज्यादा भयानक वहाँ पर थी, लेकिन उसने कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि रोजगार के अवसर सृजित किये। ...(समय की घंटी)... एक मिनट, सर। मैं खत्म कर देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब आप समाप्त कीजिए। समय पूरा हो गया है।

श्री महेश पोद्दार: महोदय, देश में स्किल डेवलपमेंट के मामले में बहुत काम हो रहे हैं।

अंत में, महोदय, प्रस्ताव में एक बात कही गयी थी कि बेरोजगारी के कारण अपराध बहुत होते हैं। मैं उससे असहमत हूँ। केरल और दिल्ली देश के सबसे ज्यादा

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

अपराधग्रस्त राज्य हैं, जहाँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से दिल्ली में 974 प्रति लाख है और वहीं केरल में 727 प्रति लाख है। तो हम इस बात से भी असहमत होंगे कि यदि बेरोजगारी है, तो उसके कारण वह क्राइम होगा। यह बात भी सही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद। आपके अभी तीन लोग बोलने बाकी हैं। आप समाप्त कीजिए।

श्री महेश पोद्दार: महोदय, इसके साथ ही मैं इस बिल का ...(व्यवधान)... ...(समय की घंटी)... धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. Youth employment, unemployment and under-employment are prevalent around the world because young people lack skills, work experience, job search abilities and financial resources to find employment. It is according to the United Nations' ILO 2006. These challenges are evident in India. It has the largest youth population in the world, but around 66 per cent of the total population is under the age of 35. So, it is an alarming increase in our employment need. The Governments are rightly concerned about rising levels of youth unemployment and under employment because of not only economic costs but also due to the social impact of joblessness as manifested by increased crime, mental health problems, violence, drug-

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

taking and social inclusion. So, all are there. As rightly my colleague Mr. Vishambar Prasad Nishad has brought the Bill, which is for insertion of Article 16A, it will provide every citizen who has attained the age of 18 years have a right to employment. It then becomes a fundamental right.

(Contd. by KLS/20)

SSS-VNK/20/3.30

SHRIMATI VIJILA SATYANANTH (CONTD.): Due to unavailability of adequate employment opportunities, they become vulnerable and they indulge in so many anti-social activities. Hence, it is the right time to amend the Constitution of India for making employment as a fundamental right. Our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, stated at the 44th Indian Labour Conference in February 2012, 'Youth employment is a high-priority agenda item for our Government. This can happen only if we equip our young people with skills that are required to meet the demands of our rapidly growing economy.' So, as predicted by him, it is the highest priority agenda which the Government should take up to provide jobs for the unemployed. So, a major long-term challenge in India is that many youth because of poverty and poor human capital endowment participate at a labour market at an early stage. They go to work at an early age. They

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

cannot afford to remain unemployed for long and hence, because of poverty they pick up activities characteristic of low labour productivity. And mostly in the rural areas, among the early labour market entrants, males are usually having casual wage employment while the female counterparts always tend to go for self-employment. So, I would like to bring some suggestions as to what we have to do. Fundamental Rights are exhaustive. It means that no rights other than those listed are available to the citizens. The Constitution does not recognize any other natural or unlisted right, unlike the U.S. Constitution which allows rights not mentioned in it. If right to work should be made a fundamental right in India then, every citizen of India should be employed. But the data shows that many people are unemployed and even die of hunger. So, first, India should be economically strong. There has to be more job creation, promotion of entrepreneurship and a big negative growth in population to improve the quality of life in India. In 25 countries this right is specified as a work guarantee. The Indian Constitution does not allow this as a fundamental right. The duty of providing work to all able-bodied persons is cast upon the State. Unfortunately, no remarkable progress seems to have been achieved despite the Government's awareness to the alarming problem of growing unemployment in the

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

country. It is needless to state that unemployment among the educated and uneducated masses is constantly on the rise at an alarming rate. So, I would like to bring to your kind notice that during the period of our hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, many from Northern States used to move to Tamil Nadu in search of work. Many unemployed youth from Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh used to seek jobs in Tamil Nadu. One day I witnessed an incident. I saw a person who was in rugged clothes. I saw another person with a mobile standing nearby at a bus stop. He was talking to a friend thus far. I could not see where that friend he was speaking to was. He was saying, 'Friend, you come over to Tamil Nadu because here, you can have meals three times a day and you get employment at any time.' He was referring to Amma Unavagam because in the morning you get one idli for Re 1. He can have five idlis. So, a person can have food for a full stomach for Rs. 5. So, this was the state of the unemployed youth in our country. Many of them are not getting meals three times a day. So, they are moving towards our State where they can find food.

(Contd. by NBR/2P)

-SSS/NBR-NKR/2P/3.35.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (CONTD.): They are suffering due to hunger. How many children are starving for one square meal a day? They are struggling to get food. So, people have moved to our place where they can find employment. Our per capita income is Rs. 500-600 per day. People doing paint work are getting Rs. 600 per day, mason gets Rs. 800-1,000 per day. So, people have started to move from North because of unemployment.

Sir, recently, you might have heard of a police inspector shot down in Pali in Rajasthan. Why was he shot down? Two young people of 20 and 28 years old are involved. One person's name is Mr. Nathuram Jat and the other person's name is Dinesh Chowdary...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : विजिला जी, अब समाप्त कीजिए।
..(व्यवधान)..

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, I will take only two minutes. I am going to finish. I will take only two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No, no. You stop.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: They indulged in a burglary in Kolathur Jewellery...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): I am calling the next speaker.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Mr. Vice-Chairman, Sir, only two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No, no. No two minutes. You please sit down.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: And, S. Periapandian, a forty-eight year old police inspector, went to find and capture these people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You complete your speech. You finish it.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: He went to Rajasthan and lost his life.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Now, I am calling the next speaker. Shri Alok Tiwari.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, finally, I would like to say...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Nothing will go on record. Whatever Smt. Vijila Satyananth says will not go on record.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: *

*** Not recorded.**

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): It will not go on record. Your mike is off. No, no. It is over.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You have taken two minutes more. I cannot give you more. You sit down.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Okay. Thank you. Sit down.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): It is not going on record. You are speaking unnecessarily...(Interruptions)...I am very sorry. Not going on record. ...(Interruptions)...

(Ends)

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): इस सदन में माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक, 2016, प्राइवेट मेम्बर विधेयक के रूप में आज प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और विशम्भर प्रसाद निषाद जी को यह बिल

*** Not recorded.**

लाने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। इससे पहले भी लोक सभा में 'Right to Work' के नाम से, 'रोज़गार के अधिकार' के नाम से, इसे मूल अधिकार बनाने और संविधान संशोधन के लिए तीन बार यह बिल आ चुका है। पहले 1989 में, 1990 में और फिर 1996 में यह बिल प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में लोक सभा में आया। 1996 में प्राइवेट मेम्बर के रूप में, आदरणीय जार्ज फर्नांडीज़ ने इस बिल को उस सदन के पटल पर रखा लेकिन वह पास नहीं हो सका। हमारे संविधान में 'Right to Work' को नीति-निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया है और यह भी कहा गया है कि इसके बिना मूल अधिकार निरर्थक रह जाएंगे। यह भी कहा गया कि प्रत्येक राज्य का दायित्व होगा कि वह अपने यहां जल्द-से-जल्द, अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार, रोज़गार का अधिकार लागू करे ताकि 'रोज़गार का अधिकार' संविधान का हिस्सा बन सके। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी व्याख्या की है, लेकिन भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने, चाहे वह माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी या माननीय अखिलेश यादव जी की, उन्होंने प्रदेश के बेरोज़गार नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया। हमने उन्हें रोज़गार देने का प्रयास किया। अगर हम रोज़गार नहीं दे पाए, तो उन्हें हमने बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया। इसे लेकर कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 'रोज़गार का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है।

(2Q/DS द्वारा जारी)

DS-USY/2Q/3.40

श्री आलोक तिवारी (क्रमागत) : अगर हमें मौलिक अधिकारों के तहत सम्मान से जीने का अधिकार है, तो उसके साथ-साथ हमें रोजगार का भी अधिकार होना चाहिए।

महोदय, आप जानते हैं कि भारत दुनिया में युवाओं का सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम की है। तीसरी दुनिया का एक विकासशील देश इन युवाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह कड़वा सच है कि ये युवा देश पर भार जैसे होते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका जो मूल कारण है, वह है बेरोजगारी। एक ओर देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जैसा कि सरकार दावा करती है, लेकिन उस हिसाब से रोजगार की दर में गिरावट एक चिंता का विषय है। केन्द्र और राज्यों में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन उन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया लगभग बंद है। ये सभी पद स्वीकृत होते हैं, यानी इनके लिए वेतन-भत्ता वार्षिक बजट में आवंटित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। लाखों की संख्या में खाली पद होने के बाद भी वैकेंसीज़ कुछ सौ में आती हैं और लाखों-लाख की संख्या में युवक आवेदन करने से रह जाता है और जो आवेदन करता है, उसे वह नौकरी नहीं मिल पाती है।

युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी ऊंची है। हर वर्ष हजारों-हजार युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। वे मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वे क्या करें। भयंकर बेरोजगारी के चलते श्रम के बहुत से

हिस्से बेगार जैसी स्थिति में आ गए हैं और रोजगार बहुत कम है। सरकारें जनसंख्या को दोष देती हैं, जबकि इस समय रोजगार-दर जनसंख्या-दर से भी नीचे है। वर्तमान में भी तमाम दावों के बावजूद लाखों खाली पदों को भरे जाने और बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई ऐसा कदम उठता नहीं दिख रहा है, जिससे कि हम यह मान लें कि कुछ वर्षों में भी इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

महोदय, सरकार को यह तक नहीं पता है कि उसके यहां बेरोजगारों की कुल कितनी संख्या है।...(समय की घंटी)... तमाम आरटीआई के जवाब से यह जानकारी मिली कि सरकार को यह तक नहीं पता है कि उसके किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। जब आपको यह नहीं पता कि कितने लोग रोजगारशुदा और कितने लोग बेरोजगार हैं, तो फिर आप नीतियां कैसे बनाते हैं? प्रत्येक दशक जनसंख्या के साथ बेरोजगारी के जो आंकड़े संलग्न किए जाते हैं, वे इसलिए विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि गांवों में रह रहे वे तमाम लोग, जो काम न मिलने के कारण बेरोजगार होते हैं और मजबूरी में खेत की छोटी जोतों में लगे रहते हैं, सरकार उन्हें भी रोजगारशुदा मान लेती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आलोक तिवारी : इसके अतिरिक्त जो बेरोजगारी के अन्य आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वे अधिकतर सैम्पल सर्वे होते हैं। 3-4 हजार लोगों के सैम्पल सर्वे से करोड़ों लोगों के बारे में आंकड़े देना मुझे कहीं से भी तर्कसंगत और न्यायपूर्ण नहीं लगता है।

महोदय, इक्कीसवीं सदी के शुरुआती दशक में भारत के हर जिले में पंजीकरण करवाने के लिए रोजगार कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि बेरोजगार नौजवान हताशा के कारण रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। इसके कारण बेरोजगारी के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। आप इस बात की पड़ताल करें कि हम और हमारा देश इस स्थिति तक कैसे पहुंचा?

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : धन्यवाद, आलोक तिवारी जी।

श्री आलोक तिवारी : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : देखिए, मैंने आपको तीन मिनट की जगह छः मिनट दिए हैं, इसलिए अब आप अपनी बात खत्म कीजिए और बैठ जाइए।

श्री आलोक तिवारी : सर, केन्द्र-शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, उत्तर से दक्षिण भारत तक ऐसे तमाम राज्य हैं, जहां 10 लाख से ऊपर पद खाली हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के लगभग 60 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, माध्यमिक तक के शिक्षकों के लगभग 5 लाख पद रिक्त हैं, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लगभग 75 प्रतिशत पद रिक्त हैं। यही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी लगभग 24 फीसदी पद रिक्त हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लगभग 35 प्रतिशत पद और नॉन-टीचिंग स्टाफ के 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं। सर, दुनिया के कई देशों में बाकायदा बेरोजगारी सूचकांक होते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : धन्यवाद, अब आप समाप्त कीजिए। डा. अनिल कुमार साहनी जी।

श्री आलोक तिवारी : सर, जिस प्रकार हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज होता है और उसके उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था की गति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से उन देशों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यह बताता है कि आपके देश में कितने रोजगार हैं और कितनों को रोजगार मिला हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : धन्यवाद, आप समाप्त कीजिए।

श्री आलोक तिवारी : सर, मैं अब खत्म कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री आलोक तिवारी : सर, मैं अब बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : यह ठीक नहीं है।

श्री आलोक तिवारी : सर, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि विशम्भर प्रसाद निषाद जी यह जो बिल लेकर आए हैं, यह निश्चित तौर पर देश के लाखों-करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के लिए एक दिशा तय करेगा। मैं सरकार से केवल यह माँग करना चाहता हूँ कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए।

(2आर/एमसीएम पर जारी)

MCM-PK/2R/3.45

श्री आलोक तिवारी (क्रमागत) : केन्द्र और राज्यों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने के लिए आयोग का गठन किया जाए, रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं और ठोस सेवा शर्तें बनाई जाएं।....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : यह ठीक नहीं है, अब खत्म करें। डा0 अनिल कुमार साहनी।

श्री आलोक तिवारी : सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, निजी, सभी क्षेत्र समान जवाबदेही और शर्तों से संचालित हों। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

डा0 अनिल कुमार साहनी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी द्वारा लाए गए प्राइवेट मेम्बर बिल के अंतर्गत देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार लोगों की भावना को संविधान के अनुच्छेद 16(क) के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद रोजगार पाने का अधिकार होगा। इन्होंने इस संबंध में प्राइवेट बिल लाकर उन करोड़ों नौजवान की बात को रखने का काम किया है। बेरोजगारी के कारण आज इस देश के लगभग 99 परसेंट घर इससे प्रभावित हैं। हर घर में समस्या है, जहां एक बेरोजगार बेटा, एक बेरोजगार बेटी, एक बेरोजगार बाप इस बीमारी का शिकार है, कहीं काम न मिलने के कारण वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। महोदय, आज मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। एक बेरोजगार

व्यक्ति मेरे पास आया कि हमें नौकरी दिला दीजिए। वह एम0ए0 पास था। तो मैंने उसके परिवार की हिस्ट्री पूछी कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं, क्योंकि कोई न कोई तो कमाता होगा। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं एम0ए0 पास हूँ फर्स्ट क्लास से, हमारा एक भाई इंजीनियर है। हमने कहा कि इंजीनियर कमाता होगा। उसने कहा कि नहीं, वह भी बेरोजगार है। हम तीन भाई हैं और हमारा तीसरा भाई चोरी करता है। तो हमने कहा कि जब वह चोरी करता है तो उसको पुलिस में शिकायत कराकर बंद कराओ, क्योंकि समाज में वह गलत काम करता है। तो उसने हमें जवाब दिया कि अकेला वही कमाता है, जिससे हमारा पूरा परिवार खाता है। इस प्रकार जो चोर है वही कमाकर अपने इंजीनियर भाई को खिला रहा है, अपने एम0ए0 पास दूसरे भाई को खिला रहा है। इसके लिए वे सब घर में अपमान भी सहते हैं। चोर कमाकर जब घर में आता है तो उनसे क्या बोलता है कि "काम का न काज का, दुश्मन अनाज का"। इसी कारण आलोक जी अभी बोले, हमारे कई साथी भी बोले कि उसको रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या भी करनी पड़ती है।

महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे 6 करोड़ 7 लाख लोग हैं। जिनके पास कोई सुनिश्चित काम नहीं है, वे 5 करोड़ 85 लाख हैं। इस प्रकार ऐसे कुल 12 करोड़ के लगभग हैं। यह 2011 का ही आकलन है। अभी लगभग 16 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिसके लिए वे नौजवान काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं। यह कोई आज की देन नहीं है, इस सरकार की भी देन नहीं है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। पिछली सरकारों के समय से ऐसी स्थिति चली

आ रही है। इस प्रक्रिया को हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ.....(समय की घंटी)..... सर, अभी कहां टाइम हुआ है?

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : हो गया है, अब समाप्त कीजिए।

डा० अनिल कुमार साहनी : अभी भारत में 30 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। देश में लगभग 6 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 20 से 24 साल के 25 फीसदी नौजवान, 25 से 29 साल के 17 फीसदी नौजवान बेरोजगार हैं। महोदय, आप मुझे और समय नहीं दे रहे हैं और चूंकि मुझे इतने ही समय में बोलना है इसलिए मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी गरीबी से जुड़े हुए हैं और गरीब बेरोजगारों की भावना को समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वे नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि "जब तक इस देश का नौजवान बेरोजगारी के कारण भुखमरी का शिकार रहेगा, इस धरती पर तूफान रहेगा, इस धरती पर तूफान रहेगा"। धन्यवाद।

(समाप्त)

(2S/SC पर आगे)

PB/2S/3.50

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, at the outset, I congratulate our colleague, Shri Vishambhar Prasad Nishad, for moving this Private Member

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Bill asking the Government to agree to make the Right to Employment as a Fundamental Right.

Sir, unemployment and underemployment have become the most burning issues. There is unrest among youth across the country. The future of Indian youth is very grim, very uncertain, very gloomy. Sir, this is not something we are asking which we should not ask. I am holding the Constitution of India. Sir, I read out the Directive Principles of State Policy for the benefit of the House and the benefit of the Government. 'The State shall, in particular, direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood.' This is part of the Constitution, Sir. It is the responsibility of the State. It should be the objective of the State to provide adequate means of livelihood. How are we going to do this? Sir, providing education for all, providing employment for all, providing decent dwelling for all must be the objective of any Government, must be the responsibility of any Government. Today they are in the power, tomorrow somebody else can come to the power. But Government is Government and the Indian Government, I hope, should remain as a welfare Government. When a welfare Government is in power, that welfare Government should look at the interests of the common people,

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

the masses. There, I want the Government to draw adequate lessons from the Constitution, from the teachings of Dr. Ambedkar who spoke about justice, social, economic and political, and if there is a proper understanding, then we can address this question.

Sir, the incumbent Prime Minister gave an assurance that Government will create two crore jobs per year. I am not questioning why the Government has failed. I am pointing this out to establish the point that it shows the grave dimension of the problem, the problem of unemployment, underemployment. How to address this issue? It is not a new issue, Sir. Since 1975 to 1985, I was the Secretary of the Tamil Nadu Unit of All India Youth Federation. I took up this issue. I conducted a *pad yatra* from Kanyakumari to Chennai asking the State Government to provide jobs; if not, provide unemployment allowance. At that time, Mr. MGR was the Chief Minister. Then, since 1985 to 1990, I was the General Secretary of All India Youth Federation at the national level and we conducted a series of campaigns on the issue of unemployment. We conducted campaign for 'Job or Jail.' Many thousands of young people went to jail asking for job. If the Government is not in a position to provide job, the Government should provide unemployment allowance. That is the dimension of the problem.

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

We should understand, Sir. There is unrest among the youth and there is a process of lumpenization, and all communal, casteist, fascist forces are trying to use the unemployed youth for their own purpose and for their own agenda.

(Contd. by 2t/SKC)

SKC/2T/3.55

SHRI D. RAJA (contd.): In such a situation, this problem needs to be addressed very urgently. If any Government fails to address this issue, it would fail. I am warning the Government that if it fails to address the issue of unemployment, it would fail. Sir, my Private Member Resolution would have come up for discussion last week if the Parliament had worked on that day. It was a Resolution asking the Government to extend the policy of reservation to the private sector. But, we could not discuss that.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Sir, when the UPA-I Government was in power -- we supported the UPA-I Government -- an effort was made to address this issue. My good friend, Shri Jairam Ramesh, is here; we all worked on the Common Minimum Programme. It was for the first time that the issue was seriously addressed. It was followed up by a legislation, which we now call the

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act; at that time it was known as the National Rural Employment Guarantee Act. I too had played a humble role in assisting Shri Jairam Ramesh, and we collectively worked at that programme. At that time, to begin with, a minimum 100 days of employment and minimum wages of Rs. 100 was guaranteed. It was to address the problem of unemployment in the rural areas, to help the rural masses. There was a demand at that time saying that it was not enough to bring the National Rural Employment Guarantee Act or implement it, but that we should strive for urban employment guarantee schemes too, but we are not addressing those issues. In such a situation, the Government must come forward to discuss with everybody and seek innovative ideas to generate employment opportunities for our young people. What you call 'Make in India', 'Start-up India', 'Skill India', and so on are all a mere rhetoric. In reality, what is happening? Please tell us that. What is the job generation in India? Why is there unrest among the young people? Why are there agitations by the youth of our country? That is because of unemployment and underemployment. Underemployment is another serious problem that we are facing. People who are highly qualified, who are holding B.E., B.Tech., M.Tech. and MBA degrees, don't get jobs. Even

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

if they get jobs, they are low paid; they want to grab just any job. That shows the gravity of the problem that we are facing today. The Government will have to address this problem. We are weakening the public sector. The public sector is one sector which really opens the gates for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs. Public sector undertakings provide some opportunity for them. It is a part of affirmative action in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs and other deprived sections. Now you are going in for reckless and massive disinvestment of public sector undertakings. You are promoting corporate houses. You are promoting big business houses and, in the name of technology, in the name of automation and in the name of contract labour system, you are exploiting people. They are looting the wealth of the country, but what we are witnessing today is unprecedented inequality. Why should such inequality exist in a country like India? You find one percent of the population possessing huge wealth of the nation. What is the definition of 'private sector'? We have a definition for 'public sector'. There is the Companies Act. If there is 51 per cent Government equity in an undertaking, it is a public sector undertaking.

(CONTD. BY HK/2U)

HK-HMS/2U/4.00

SHRI D. RAJA (CONTD.): What is the definition of private sector? I am asking all the political parties and I am asking the Parliament: What is private about private sector? They take loans from public sector banks; they take land; they take water; they take electricity at subsidized rates from the Government or free of cost from the Government. What is private about the private sector? But they will not follow any non-discriminatory recruitment policy; they will not follow the law of the land in any case. Why is this happening? That is why I would like to know whether the Government has political will or political determination to extend the reservation policy to private sector. It is the need of the hour. The Government should think on these lines. Why can't there be reservation in private sector? How to address the question of unemployment and under-employment and how to protect the interests of socially discriminated sections in our society? That should be our approach. ...(Interruptions)... Right to education, all right, is given. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(Interruptions)... Your time is over. ...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

SHRI D. RAJA: Sir, I can understand. But I am speaking on this issue with agony. The future of our young people is uncertain and very bleak. How are we going to build a new India? They talk about new India. To whom does that new India belong? That new India belongs to our young people and their future is uncertain. The future belongs to youth. Youth is our future. How are we addressing the young people's burning problem, that is, unemployment and under-employment? Here, Government should be very sensitive and the Government should make some serious efforts. This Bill, in fact, suggests the Government to agree to make right to employment a fundamental right. This is what we are demanding. The Government should think over it. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Ram Kumar Kashyap to speak. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : सर, चौधरी मुनव्वर सलीम को भी सुन लीजिए। He is on the wheel chair. इनका नाम कॉल किया गया था। ..(व्यवधान)..

श्री मोहम्मद अली खान : सर, सुन लीजिए। आप बीच में Government Business के लिए टाइम दे देते हैं, उसी प्रकार इन को भी दे दीजिए।

جناب محمد علی خان: سر، سن لیجیئے۔ آپ بیچ میں Government Business کے لیے ٹائم دیدیتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی دے دیجیئے۔

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have a problem doing this. ...(Interruptions)...

What do I do? ...(Interruptions)..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: He has specially come for that.

...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do? ...(Interruptions)... No, please.

...(Interruptions)...

There is a serious problem for that. ...(Interruptions)... There is a serious problem. ...(Interruptions)..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: He has specially come for this.

...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; that can't be done. ...(Interruptions)... No,

please. ...(Interruptions)... It is a Private Members' Business. In the Private

Members' Business, I cannot allow any other Business. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : सर, Zero Hour में शुरू हुआ है। ..(व्यवधान) ..

श्री उपसभापति : Zero Hour में हो सकता है, Government Business में हो सकता

है, but, now, it cannot be done. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: All the Members agree for this. ...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not the question of Members. We go by Rules, not by Members only. ...(Interruptions)... We have to go by Rules. ...(Interruptions)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, he is on the wheel chair. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do know how it can be done. ...(Interruptions).. The point is that tomorrow another person will come and demand. ...(Interruptions)... You are asking me to set a very wrong precedence. ...(Interruptions)... You are asking me to set a very wrong precedence. ...(Interruptions)... I have all sympathy for him; he is my good friend. He is my good friend. What do I do? ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: When all the Members agree, you can agree. ...(Interruptions)... Precedents are often made under extraordinary circumstances. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the extraordinary circumstance? ...(Interruptions)... What is the extraordinary circumstance? ...(Interruptions)... One Member chooses his time and comes here. He could have come at 5.00 p.m. He is my good friend; he is my best friend. I

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

am telling you. उन्हें 5 बजे आना चाहिए था, लेकिन वे अभी आए। अभी आने के लिए किसने कहा? उन्हें 5 बजे आना था।

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: He is on the wheel chair. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can I act like that? ...(Interruptions)... I am the custodian of the Rules also. I have to protect the Rules. See, one Member, my good friend, chooses his time and comes and asks me to allow him now during the Private Members' Business!

(2 डबल्यू/एएससी पर आगे)

ASC-KSK/2W/4.05

श्री उपसभापति (क्रमागत) : इनको पांच बजे आना चाहिए था। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will he be allowed at 5 o'clock?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Definitely. पांच बजे पहला नाम। ..(व्यवधान).... वे इस सदन के मेम्बर हैं, उनको वहां पर बैठाइए। अगर उनको कुछ पीना है, तो दे दो। वे tired हैं, सब ठीक है, लेकिन ...(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: You are right, Sir. It is okay. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is my best friend, but still there is a problem in doing that. Tomorrow, Jairam Rameshji will ask a favour for him.

SHRI JAIRAM RAMESH: Never, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the guarantee?

SHRI JAIRAM RAMESH: It is an extraordinary circumstance. He can't...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not an extraordinary circumstance. He came in wheelchair. That's all. That is not extraordinary. So many people are in wheelchair. That is not extraordinary.

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, he was in hospital for the last six months.
...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Please, look at him, Sir. ...(Interruptions)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: It is okay. It is over, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, in that case, Mr. Minister, what do you say? Do you also agree? I don't know, I am committing a mistake.

श्री विजय गोयल: यह सदन(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, don't do it. He will come at 5 o'clock.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you agree on that. मुनव्वर जी, बहुत अच्छा है, नहीं तो I have my conscience that I am breaking a rule. It is never done.

...(Interruptions)... आप सहमत हैं? ठीक है, धन्यवाद।(व्यवधान)... पांच बजे। It is a matter of only one hour. पांच बजे। अगर उनको चाय चाहिए, तो बाहर जाकर चाय पिला दीजिए। बाहर वेट करिए, उनको चाय पिला दीजिए। ...(व्यवधान)...

बाहर चाय है, उधर बोल देना। अंदर चाय नहीं मिलेगी।(व्यवधान)...बाहर से चाय पिलाइए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : सर, आप बहुत अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ram Kumar Kashyap, not present. Shrimati Chhaya Verma. You have only five minutes.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, मैं निषाद जी के इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि वे बेरोजगारों के लिए इतना अच्छा बिल लाए, जिससे देश के बेरोजगारों का हित होगा।

इधर की तरफ बैठने वालों ने सरकार बनाने से पहले दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और वर्ष 2022 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का सरकार का लक्ष्य था। सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। 08 नवम्बर, 2016 के बाद निजी क्षेत्र की नौकरियां छिन गईं। इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण 15 से 20 लोगों का रोजगार छिन गया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की दुर्दशा और बढ़ गई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी नौकरी मिलना तो छोड़िए, निजी क्षेत्र की नौकरियां लोग कैसे बचाएं, कर्मचारी इस उधेड़बुन में लगे हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों का अकाल है। देश के लोगों में योग्यता होते हुए भी वे बेरोजगार हैं और घर में बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं।

महोदय, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि 15 सितम्बर को चपरासी के लिए 64 पदों की भर्ती के लिए 23,00,000 लोगों ने आवेदन किया, तो उनमें 255 पी.एच.डी. वाले लोग थे। हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोगों की क्या स्थिति है? उधर की तरफ वाले साथी अभी 'मनरेगा' की दुहाई दे रहे थे। मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार 'मनरेगा' के काम में भी 18 परसेंट जीएसटी काट रही है। आप मेरी तरफ इस तरह से मत देखिए, क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ हैं। मजदूरों के मजदूरी भुगतान में 18 परसेंट जीएसटी काटौती की जा रही है। एक दिन मैंने चिदम्बरम जी से पूछा कि क्या मजदूरों की मजदूरी में भी जीएसटी लगता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इस बात को किसी दूसरे विषय पर बोलते हुए भी उठाया है और सदन न चलने के कारण वह मुद्दा उठाया नहीं जा सका, लेकिन आज निषाद जी के बिल के कारण मैं यह मुद्दा सदन में रख रही हूँ। हमारे देश के बेरोजगारों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उनके साथ एक प्रकार से मजाक हो रहा है।

(2x/KLG पर जारी)

KLG-SK/2X/4.10

श्रीमती छाया वर्मा (क्रमागत): मेक इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं में आप नौजवानों को स्किल्ड तो बना रहे हैं, उनको कुशल श्रमिक तो बना रहे हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। रेलवे अप्रेंटिस और आईटीआई सर्टिफिकेट धारक सड़कों पर रोजगार के लिए धरना, प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं और इनमें से कइयों ने आत्महत्या की ओर कदम उठाए हैं,

लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे अप्रेंटिस बच्चों को रोजगार देने से मना कर दिया गया है। रेल मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, जो अभी नहीं हैं। रेलवे में 2000 पद अप्रेंटिसों के खाली हैं, लेकिन वहां पर अप्रेंटिस किए हुए कुशल श्रमिकों में से एक को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। इंजीनियर्स भी इस देश में बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए मंत्रालय कोई कदम नहीं उठा रहा है। आज हर चीज में ऑनलाइन की बात होती है। जब बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात आती है, तो ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण का कहीं कुछ नहीं दिखता है। यह एक झुनझुना थमाने वाली बात हो रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छत्तीसगढ़ में दो साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है।

महोदय, बेरोजगारी से आतंकवाद पनपता है। हमारे देश के बेरोजगार युवा गलत कदम उठाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता। आजकल जो भी नौकरी मिल रही है, खाली उनमें संविदा भर्ती हो रही है। जब कोई पद रिक्त होता है, तो उसमें परमानेंट नौकरी देनी चाहिए, लेकिन सरकार संविदा भर्ती करती है, चाहे जो भी पद हो, हर पद में संविदा भर्ती होती है। इस तरह बेरोजगारों के साथ, पढ़े-लिखे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और संविदा के नाम पर कम पैसों में उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। इस संविदा भर्ती में बिचौलियों और चंद लोगों की चांदी होती है और बेरोजगारों का शोषण होता है। यह बेरोजगारों की बेबसी को दर्शाता है। जहां कहीं कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, वहां बेरोजगारों को स्थाई नौकरी दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए और यह काम एक समय-सीमा के तहत होना

चाहिए। बेरोजगारों के दुख-दर्द के साथ यूं ही खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जब किसी अमुक पद से कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उस रिक्त पद पर पहले स्थाई नियुक्ति कर ली जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, जो योग्यता होते हुए भी सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे सरकारी नौकरी पाने की जो उम्र की एक समय-सीमा होती है, उसे पार कर चुके होते हैं। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसके तहत सरकारी नौकरी पाने की उम्र की समय-सीमा न हो, वह समाप्त हो जाए, जिससे बेरोजगार व्यक्ति की योग्यता उसकी उम्र की समय-सीमा के कारण अयोग्य न हो? सरकारी नौकरी पाने की उम्र की यह समय-सीमा बाध्यकारी कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि सरकार बेरोजगारों के मामले में सार्थक पहल करे और इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन की बात कही गई है, उसे अमली जामा पहनाने हेतु अविलंब कदम उठाया जाए।

(समाप्त)

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, ऑनरेबल मेम्बर निषाद जी ने जो विधेयक पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। इस बिल में उन्होंने एक प्रोविजन के लिए कहा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। ऊपर-ऊपर से देखने में तो यह सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें भत्ता मिले, लेकिन सवाल यह है कि जिस वर्ग को हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, वह उनके लिए मदद होगी या हम उनकी परेशानियां बढ़ाएंगे? कहीं हम उनकी मानसिकता तो नहीं बिगाड़ेंगे या

उन्हें पंगु तो नहीं बनाएंगे। हमारा युवा वर्ग, जो काम करने के लिए तरस रहा है, बेरोजगारी भत्ता पाने के बाद क्या वह काम करने के लिए सक्षम बनेगा? हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हम उनकी परेशानी बढ़ाएंगे, जो एक इंजीनी मनी उन्हें मिलेगा। एक मां जब अपने बेटे को पैसे देती है तो वह यह भी देखती है कि उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन यहां जो बच्चे 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, वे तम्बाकू, सिगरेट, शराब की ओर भी जा सकते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ सकती है।

(2वाइ/एकेजी पर जारी)

AKG-YSR/2Y/4.15

डा. विकास महात्मे (क्रमागत) : इसलिए मुझे लगता है कि हम जो भी काम करें, बेरोजगारी भत्ता कह कर हम जो भी पैसा देना चाहते हैं, वही पैसा हम कुछ ऐसे use में लाएँ, ताकि उनकी सक्षमता बढ़े। अभी 10वीं/12वीं पास या इंजीनियर, सभी degree holders को लगता है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद job मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि education इसके लिए नहीं है, बल्कि education इसलिए है कि हमारी thinking, हमारी सोच, यह हम कैसे करते हैं। इससे हमें पूरे विषय के बारे में जानकारी मिलती है।

सर, ऑनरेबल मेम्बर ने एक उदाहरण दिया कि जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वह कमाता है, चोरी करके कमाता है और एक इंजीनियर कुछ भी नहीं कमा सकता। लेकिन हमें इस सम्बन्ध में थोड़ा सोचना चाहिए कि जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसने एक

कौशल्य लिया है, शायद वह गलत तरीके से लिया होगा, लेकिन उसके पास एक कौशल्य है, जो उस पढ़े-लिखे आदमी के पास कोई भी कौशल्य नहीं है, यह बहुत बड़ी कमी है। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। कौशल्य के बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। पहली बार मोदी सरकार ने कौशल्य विकास के लिए खास अलग मंत्रालय तैयार किया है और वह बहुत जरूरी है। मैं कौशल्य के बारे में बताता हूँ कि मैं एक eye specialist हूँ, डॉक्टर हूँ। Final year में M.S. में मेरा examination हुआ, theory examination हुआ, practical में viva-voce हुआ, मुझसे सिर्फ पूछा गया और मुझे जो डिग्री मिली, वह Master of Surgery मिली, जिसमें किसी ने मेरी surgery नहीं देखी, लेकिन मुझे Master of Surgeon की डिग्री दे दी। अब मैं बाहर जाऊँगा, तो कोई मुझसे operation नहीं करवाएगा, लेकिन मुझे government job मिल सकती है। यह जो फर्क है कि सिर्फ डिग्री से हमें नौकरी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। उसके साथ कुशलता, कौशल्य बहुत जरूरी है। इस कौशल्य पर जोर मोदी सरकार ने दिया है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।

हम यह सोचते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, लेकिन आज यह बेरोजगारी कम हो रही है। व्यवसाय ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि 10वीं/12वीं पास होने के बाद भी व्यवसाय हो सकता है। इतनी अधिक बेरोजगारी है, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या आज हमें ड्राइवर जल्दी मिल सकता है; यदि हमें कुक चाहिए, तो क्या हमें वह कुक जल्दी मिल सकता है? नहीं, यह कुशलता हमने इतने सालों में किसी को नहीं दी है। यह कुशलता देने में

जो 'कौशल्य विकास योजना' है, वह काफी प्रभावी है। जैसे 'National Skill Development Mission' है, 'प्रधान मंत्री कौशल्य विकास योजना' है। इसके अलावा 'National Policy for Skill Development and Entrepreneurship' है, 'Rural India Skill' है, यह बहुत जरूरी है। इन्हें इस सरकार ने शुरू किया है। मुझे लगता है कि कौशल्य विकास होने के बाद लोग खुद व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हम कहते हैं कि डिग्री मिलने के बाद उसे काम मिलना चाहिए, लेकिन डिग्री का मतलब सिर्फ काम मिले, ऐसा नहीं है, वह खुद का व्यवसाय शुरू करे। इसलिए उसको कौशल्य देना बहुत जरूरी है। उस दिशा में इस सरकार का काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ ड्राइवर, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, सैलून, गारमेंट, काउंसिलर, जो समझा सकता है, इनके अलावा acupressure, paramedicals, इतनी सारी skills हैं और इनसे भी ज्यादा skills की कई सारी योजनाएँ हैं। हमें इनका लाभ उन तक पहुँचाना है और हमें 'Skill India', नया इंडिया बनाना है। जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो वह व्यवसाय करे, हर बार वह नौकरी की तलाश क्यों करे? जो खुद को बेरोजगार कहता है, वह व्यवसाय शुरू करके दूसरे लोगों को नौकरी दे सकता है। ... (समय की घंटी)... इसके अलावा मुद्रा योजना भी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

डा. विकास महात्मे : इसके तहत भी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन मिल सकता है। लोगों ने इसका फायदा उठाया है। हर बार नौकरी माँगने की बजाय हम व्यवसाय या कोई इंडस्ट्री शुरू करने की कोशिश करें। जैसे 'Startup India' का भी प्रोग्राम है। मुझे

ऐसा लगता है कि यदि हम यह सब सोचते हैं, तो हम 'Skill India' को आगे बढ़ाएँ और जो भी डिग्री लेता है, उसके बाद internship type कोर्स के द्वारा हर डिग्री के बाद हम उसमें कौशल्य भर दें, तो हम उसको बेरोजगार न बना कर, व्यावसायिक बना कर अच्छा काम कर सकते हैं। यह पैसा उसके लिए खर्च हो।

इसलिए मुझे लगता है कि बेरोजगारी भत्ता लोगों को, युवकों को गुमराह करने के लिए होगा। इससे वे खर्चा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि में जाएँगे, क्योंकि वह easy money है। इसलिए मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ और मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। धन्यवाद।

(समाप्त)

(2जेड/एससीएच पर आगे)

SCH-VKK/4.20/2Z

श्री उपसभापति : श्री नीरज शेखर। नीरज जी, आपकी पार्टी के पास टाइम नहीं बचा है, आप सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं अपने नेता श्री विशम्भर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 'काम का अधिकार' के संबंध में वे प्राइवेट मेम्बर बिल लाए हैं और इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। आज हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, वह unemployment की है। बेरोजगार नौजवानों की संख्या इस देश में हर साल बढ़ती जा रही है। यह समस्या आने वाले समय में कितना विकराल रूप ले लेगी, इसकी आशंका हम सभी को है, चाहे वे इस तरफ के सदस्य हों या उस तरफ के सदस्य हों।

यह समस्या बहुत अधिक भयंकर होती जा रही है। जब कभी भी मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ नौजवान पढ़-लिख कर बेरोज़गार घूम रहे हैं। उनको आशा थी कि जब हम पढ़-लिख लेंगे, तो अपने परिवार को चलाएंगे, लेकिन वे दिन-रात दौड़ते हैं, फिर भी उनको कोई काम नहीं मिलता है।

महोदय, कई नौजवान हम लोगों के पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास B.Tech किए हुए बच्चों की कम से कम 200-300 एप्लिकेशंस रखी हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। कुछ बच्चों ने MBA किया है, जो बेरोज़गार हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ।... (व्यवधान)... सर, क्या मैं उनको आपके पास भेज दूँ? उनको मैं कहां पर भेजूँ? ... (व्यवधान)... कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट में नौकरी का आवेदन निकला था, जहां 400 स्थान रिक्त थे, उसके लिए 26 लाख लोगों ने एप्लिकेशंस दीं, जिनमें से कुछ लोग Ph.D किए हुए थे और कुछ लोगों ने CA किया था। वहां Class IV के लिए जो वेकेंसी निकली थी, उसके लिए भी 24 लाख लोगों ने एप्लिकेशंस दीं। बेरोज़गारी की समस्या आज इतनी गंभीर हो चुकी है और हमारे माननीय मंत्री जी इसको मज़ाक में उड़ा रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ।... (व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर : माननीय मंत्री जी, यह बहुत गंभीर मसला है, आप मुझे बोलने दीजिए।... (व्यवधान)... आप बाद में बोलिएगा, हर चीज़ मज़ाक में नहीं लेनी चाहिए। यह देश के नौजवानों का मामला है।... (व्यवधान)... आप मंत्री हैं।... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, please don't interrupt.

...(Interruptions)...

श्री रामदास अठावले : अगर आपके पास ऐसे नौजवान हैं, तो उनको आप हमारे पास भेज दीजिए।...(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, I am not yielding. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...(Interruptions)... आप बैठिए, वे यील्ड नहीं कर रहे हैं, आप बैठिए।...(व्यवधान)..

श्री रामदास अठावले : मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप बैठिए।...(व्यवधान).. Mr. Minister, please do not interrupt. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना संकल्प पत्र रखा था, उसमें कहा गया था कि दो करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यह थोड़े ही कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी, हम लोग तो बाकी के लोगों को ऐसा बना देना चाहते हैं, ताकि वे नौकरी दे सकें। मैं इस जुमले वाली सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि ये लोग इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करते? यदि नौकरी दे नहीं सकते थे, तो इन्होंने यह क्यों कहा कि दो करोड़ नौकरियां देंगे? अब ये लोग कह रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि वे लोग नौकरी दे सकें। यह हम नई चीज़ सुन रहे हैं। जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो हर बार उसका एक नया जवाब आ जाता है, एक नया स्लोगन आ जाता है।

महोदय, आज इस देश का नौजवान मांग कर रहा है कि मुझे नौकरी दी जाए। वह समय दूर नहीं है, जब वह नौजवान सड़कों पर उतर आएगा। वह नौजवान आप सबसे, इस सदन के सभी लोगों से यह प्रश्न पूछेगा कि आप लोगों ने हमें पढ़ाया क्यों? नौजवान आज खेती से भाग रहा है, क्योंकि खेती में उसको कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। वह अपने मां-बाप को दिन-रात देखता है कि वे परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद उनको अपनी लागत तक भी नहीं मिलती है। इसीलिए किसान का बेटा आज खेती न करके नौकरी ढूंढता है। वह पढ़ता-लिखता है, उसका बाप उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती। आज नौजवानों की जो समस्या है, हम लोगों को उसे देखना चाहिए, लेकिन इस सरकार को कोई अन्य समस्या मिल जाती है। हम लोगों को नौजवानों के लिए काम करना चाहिए, उनको देखना चाहिए।

महोदय, हमसे कहा जाता है कि कौशल विकास के अंतर्गत नए आईटीआई शुरू किए गए हैं। अभी हमारे माननीय मित्र बोल रहे थे कि ड्राइवर कहां मिलते हैं? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितने कौशल विकास के केन्द्र खुल चुके हैं? उनमें कितने लोग आए हैं? उनको कितनी नौकरियां मिली हैं? माननीय मंत्री जी मेरे इन सवालों का जवाब बता दें। आप कहते हैं कि हम उनको विदेश भेजेंगे। क्या किसी को अभी तक कोई नौकरी मिली है? आज अगर आप ड्राइवर ढूंढने जाएं, तो कितने ही ड्राइवर यहां घूम रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। बलिया से, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर के राज्यों से बेचारे नौजवान यहां आते हैं और काम कर रहे हैं। आज

जरूरत इस बात की है कि गांवों में उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इसके बारे में बात की जाए, लेकिन यहां बातें कुछ और ही होती हैं। कभी कोई संविधान संशोधन पास किया जा रहा है, कभी कोई किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से Right to Employment के बारे में अभी तक कोई विधेयक क्यों नहीं आया है?

(3A-RPM पर जारी)

RPM-RL/3A/4.25

श्री नीरज शेखर (क्रमागत): महोदय, यह जरूरी है कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। आज देश का नौजवान इस हद तक पहुंच गया है कि वह अपने घर को चलाने के लिए अपने अंग बेच रहा है। ... (व्यवधान)... वह नौजवान अपने अंग बेच रहा है, ताकि वह अपने परिवार को चला सके। आज किसान इसलिए भी आत्महत्या कर रहा है कि उसने अपनी जमीन के ऊपर कर्जा लेकर और अपने ट्रैक्टर को बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन अब उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नौजवान क्यों आत्महत्या कर रहा है, इसलिए कि इतना पढ़-लिख कर वह हतोत्साहित हो गया है और वह सोच रहा है कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अतः मैं चाहता हूं कि इस विषय को सरकार जरा ध्यान से देखे और जो बिल हमारे माननीय सदस्य लाए हैं, उस पर विचार करे और सोचे। मैं तो अपने सांसद जी से मांग करूंगा कि वे यह देखें कि इस पर आज फैसला हो जाए और आज इस पर वोटिंग हो और तय किया जाए कि इसका क्या परिणाम है? आज इस सदन में यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर सरकार क्या चाहती है। मैं तो आग्रह करूंगा कि... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is all. ...(Time Bell)... Okay, please.

...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का समय नहीं था, फिर भी आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी ओर से यह जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर जरूर वोटिंग कराए। (समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is Shri Ramkumar Verma speaking? Are you speaking?

SHRI RAMKUMAR VERMA: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, take only five minutes because the time is over.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): माननीय उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसी के साथ हमारे ऑनरेबल मेम्बर, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्राइवेट बिल के माध्यम से देश के बेरोजगार युवाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने देश के हमारे लोकप्रिय और युवाओं के शुभचिन्तक प्रधान मंत्री, जब से इस देश में प्रधान मंत्री के रूप में आए, उनकी चिन्ता में वे शरीक हुए हैं। निषाद साहब ने यह कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग किस प्रकार से असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहा है, आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है और अपराधी

प्रवृत्तियां उसमें आ रही हैं। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि बेरोजगारी के कारण युवाओं में निश्चित रूप से कहीं न कहीं निराशा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश की 70 वर्ष की आजादी के बाद भी आज देश के युवा वर्ग में भयानक रूप से बेरोजगारी प्रकट हो रही है और उसका निदान नहीं हो रहा है, इसमें भी सत्यता है।

महोदय, देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और उसे लागू हुए भी लगभग 67 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भारत की बेरोजगारी दूर नहीं हुई। भारत के संविधान को उसके निर्माताओं ने जिस भावना और जिस सोच से बनाया, उसे देखकर लगता है कि भारत के संविधान को बहुत सोच-समझ कर बनाया गया था। उसमें उन्होंने हर पहलू को सम्मिलित किया है। यदि हम इसके Preamble को देखें, तो उसमें सारी चीजें समायोजित हो जाती हैं। हमें पूरे संविधान के विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी यह उल्लेख किया गया था कि भारत एक प्रभुत्वसंपन्न गणतंत्र देश तो होगा, लेकिन मौलिक अधिकारों को भी प्रिअम्बल में दर्शाया गया है। देश right to equality, opportunity, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा।

महोदय, निषाद साहब ने यह जरूर बताया कि इन कारणों से अपराध हो रहे हैं। अच्छा होता, यदि इन कारणों के उत्पन्न होने के बारे में भी वे बताते कि ये कारण क्यों उत्पन्न हुए हैं। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि 70 वर्ष की आजादी के बाद और भारत के संविधान में जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो वे

भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिए गए हैं। यदि हम प्रिएम्बल की बात करते हैं, तो आप देखें, उस वक्त के मुकाबले अब 465 आर्टिकल हो गए हैं। पहले इसके 22 खंड थे और आज उसके 24-25 खंड हैं। 12 सूचियां हो गई हैं और एक से एक अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। उसमें यदि हम देखें, तो पाएंगे कि बहुत सारे अमेंडमेंट गरीबों के लिए भी हुए हैं। जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जिनके बारे में अभी हमारे डी.राजा और एक माननीय सदस्या ने भी बात कही कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग अभी भी न्याय के मामले में पिछड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज बेरोजगारी ने युवाओं को निराश कर रखा है।

(3बी/पीएसवी पर जारी)

PSV-DC/3B/4.30

श्री रामकुमार वर्मा (क्रमागत): लेकिन बेरोजगारी का कारण यह रहा है कि हम राजनीतिक पार्टियों ने भी और तत्कालीन सरकार ने भी 1950 के बाद, संविधान लागू होने के बाद, जो प्रोविजंस दिये, उनके अन्दर सारा कुछ था, लेकिन जरूरत यह थी कि हम उनको सही ढंग से क्रियान्वित करते। जब 26 नवम्बर, 1949 को chief architect of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar साहब ने संविधान को सुपुर्द किया था, ...(समय की घंटी)... तो उन्होंने उस समय यह कहा था कि संविधान अच्छा है, बुरा नहीं है। ...(समय की घंटी)... डिपेंड इस पर करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामकुमार वर्मा: अगर इसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो निश्चित है कि यह संविधान लाभदायक होगा। इसमें जो मैक्सिमम था, वह देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए था, जो पिछड़े हुए थे, उनके लिए था। आज मैं इस अवसर पर अधिक न कह कर यही कहूँगा कि निषाद साहब, आपने यह बिल पेश किया है। बिल के लिए, युवाओं के लिए आपकी जो संवेदना है, बहुत बढ़िया है।

श्री नीरज शेखर: अधिकार ही नहीं है। ...(व्यवधान)... अधिकार पर बात करिए।
...(व्यवधान)...

श्री रामकुमार वर्मा: अधिकार की तो बात हो गई है। ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude.
...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: मैं यह कहूँगा कि आज भारत सरकार के ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सुनिए। ...(व्यवधान)... टाइम बहुत कम है। ...(व्यवधान)...

मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह सत्यता है कि आज भारत सरकार ने और भारत सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, इस देश के युवाओं के लिए, जोकि अभी 65 प्रतिशत युवा वर्ग है, जो निराशा में था ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)... All right.
...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: मैं यह कहूँगा कि अगर कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति-- जब जन-धन अकाउंट की योजना चालू की गई, तो 29 करोड़ लोग उससे जुड़े।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: उसका फायदा किसको मिला?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: सर, एक मिनट। बस एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा।

करोड़ों लोग जब डिजिटल के माध्यम से-- मनरेगा जैसी स्कीम, जो मृतप्राय हो गयी थी, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि उसके द्वारा कार्य किये जाने वाले, unproductivity के रूप में थे, लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास और भारत सरकार के प्रयास से, आज मनरेगा के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से जो पैसा उस मजदूर को मिल रहा है, तो उत्पादकता बढ़ रही है, वह विकास कार्यों के अन्दर लग रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैं कहता हूँ कि चाहे वह भारत सरकार की मुद्रा योजना हो, स्टैंड-अप योजना हो, स्टार्ट-अप योजना हो ...(व्यवधान)... किसानों के लिए ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...(Interruptions)...

Hon. Minister ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: हमारे किसान कृषि पर डिपेंड करते हैं। किसानों के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं...(व्यवधान)... उनसे जो कृषि पर डिपेंडेंट हैं, ...(व्यवधान)... उनकी संख्या कम होगी। ...(समय की घंटी)... धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude. ... (Interruptions)... Hon. Minister can reply now. ... (Interruptions)... Hon. Minister can speak now.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने..

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: उपसभापति जी, मुझे अपनी पूरी बात तो कहने दीजिए। ... (व्यवधान)... मैंने तो थोड़ा सा ही बोला था। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, आपका रिप्लाइ इसके बाद होगा। ... (व्यवधान)... क्योंकि आपको अभी यह भी सुनना है और इसका भी रिप्लाइ आपको देना है। ... (व्यवधान)...

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, मैं अपने भाई, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को इस बात के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का और देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में इस समय देश की आवश्यकता है कि रोजगार के अच्छे अवसर मिलें और लोगों को रोजगार मिले।

हम इतना कह सकते हैं कि पिछले 3 साल से, जब से हमारी सरकार आई है, इस दिशा में इतनी अधिक चिन्ता से काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप आर्टिकल 16ए को सम्मिलित कराने का प्रस्ताव कर रहे हैं-- अभी हमारे 10 अन्य माननीय सदस्यों ने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं। मैंने सबकी बातों को पूरी गम्भीरता के साथ सुनकर, उसमें जो कुछ कर सकता हूँ, उसके हिसाब से तय किया है कि हम अपने विभाग के माध्यम से क्या कर सकते हैं।

वर्तमान में संविधान में 'राइट टू वर्क' एक मौलिक अधिकार नहीं है। हालाँकि संविधान के नीतिनिर्देशक तत्व में, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 41 में ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाये, जिनसे इसके समस्त नागरिकों को जीवनयापन का पर्याप्त अवसर मिले। हालाँकि नीतिनिर्देशक तत्व enforceable नहीं हैं, परन्तु इससे सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी कम नहीं होती है, ऐसा हम समझते हैं और हम उस चिन्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं।

(3सी/वीएनके पर जारी)

VNK-KS/3C/4.35

श्री संतोष कुमार गंगवार (क्रमागत) : कई माननीय सांसदों ने अपने क्षेत्र, अपने निकट के क्षेत्र तथा इस समय देश में जो चल रहा है, उस संदर्भ में जो चिंता व्यक्त की है, उस संबंध में मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, वे सारी बातें अब धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं

सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार ने देश के चहुंमुखी विकास के लिए कई प्रकार के नेशनल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और उन सभी नेशनल प्रोग्राम्स से देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ये सभी प्रोग्राम्स रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं और यह सबको दिखाई भी दे रहा है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया आदि ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनसे रोजगार का सृजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में बहुत तेजी से देश के अंदर सड़कों का भी जाल बिछ रहा है। इस संदर्भ में अभी हमारी केबिनेट ने लगभग 7 लाख करोड़ के निवेश से लगभग 83 हजार किलोमीटर सड़क के विस्तार का निर्णय लिया है। इस आर्थिक प्रोत्साहन से 5 वर्षों में लगभग 32 करोड़ मैन डेज़ का सृजन हो रहा है और इसके अलावा चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो या एयर कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, देश को इस हिसाब से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सदन का ध्यान सरकार की स्वरोजगार की योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है और मैं ऐसा समझता हूँ कि देश के जिस हिस्से में भी हम जाते हैं, तो हमें इसके प्रति बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और लोग इसकी जानकारी देते हैं। महोदय, इस योजना के तहत 2015-16 में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपए के टारगेट के मुकाबले 1 लाख 32

हजार करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया। दूसरे वर्ष यानी 2016-17 में लगभग 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया, जो टारगेट से कहीं अधिक था। इस वर्ष भी अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन बिना किसी गारंटी या collateral security के छोटे-छोटे उद्यमियों को दिया गया। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण साढ़े नौ लाख करोड़ से अधिक खातों में दिया गया है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत नए उद्यमियों को काम करने के लिए 1.67 लाख करोड़ रुपए उनके 2.69 करोड़ खातों में दिए गए। इस स्कीम से कितने रोजगार का सृजन हुआ? जब हम इस मंत्रालय में आए, तब हमारी जानकारी में आया कि AESI में 10 और प्रोविडेंट फंड में 20 से ऊपर का रिकॉर्ड में हम रखते हैं, इसके नीचे का रिकॉर्ड नहीं है। हमने अब लेबर ब्यूरो से इसकी स्टडी करने को कहा है कि एक सही जानकारी, जैसा अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, वे तथ्य हम लोगों के सामने आए। मुझे लगता है कि इस संबंध में जून-जुलाई तक एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी। जब जून-जुलाई, 2018 तक यह रिपोर्ट आ जाएगी, तब हम सदन को कुछ बताने की स्थिति में होंगे।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रालय ने 2015 में नेशनल कैरियर पोर्टल सर्विस की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत करीब-करीब 4 करोड़ जॉब सीकर्स रजिस्टर हुए हैं और लगभग 14.5 लाख इम्प्लॉयर्स भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 920 जॉब फेयर्स भी लगाए और 679 Employment Exchanges को भी आवश्यक निधियां जारी कीं कि आप इस

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

हिसाब से काम करें, जिनको NCS पोर्टल से भी जोड़ा गया। हम लोगों ने लगभग 100 के आसपास मॉडल कैरियर सेंटर्स को भी आधुनिक बनाने का काम किया। साथियो, ये सारे काम पिछले तीन-साढ़े तीन वर्षों में हुए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, we have to dispose this of before 5 p.m. Therefore, you cannot take more time. There is the reply and, then, if it goes for voting, it would need time.

श्री संतोष कुमार गंगवार : जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंत्री इस ओर कितनी चिंता कर रहे हैं। अगस्त, 2016 से "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" की शुरुआत हम लोगों के द्वारा की गई और इसके अंतर्गत भर्ती किए जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए employer द्वारा दिए जाने वाले प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो कि 12 परसेंट है, उसमें 8.33 परसेंट स्कीम के तहत सरकार वहन कर रही है। Apparel and garment क्षेत्र में ये सारी की सारी 12 परसेंट की राशि सरकार के द्वारा वहन की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 13 लाख नए कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा चुका है।

महोदय, रोजगार के अवसरों का सही-सही आकलन करने के लिए पिछले वर्षों से चर्चा चल रही है। डेटा कलेक्शन और गैदर करने का तरीका भी है। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, जैसा मैं अभी कह रहा था कि 20 से अधिक का डेटा कलेक्शन हो पाता है, उससे कम का नहीं हो पाता है।

(3डी/एनकेआर-आरएसएस पर जारी)

NKR-RSS/3D/4.40

श्री संतोष कुमार गंगवार (क्रमागत) : हमें जो व्यवस्था मिली है, उसमें 10 से कम व्यक्तियों का data available नहीं है। Labour Bureau भी 10 से कम व्यक्तियों का data collect नहीं कर पा रहा है। ऐसा हमने नहीं किया है, बल्कि पहले की व्यवस्था से हमें ये सारी बातें मिली हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि data collection में आ रही समस्याओं का सरकार ने संज्ञान लिया है और नीति आयोग के Vice-Chairman की अध्यक्षता में गठित Task Force ने सांख्यिकी मंत्रालय को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वे 10 से कम लोगों को रोजगार देने वाले संस्थानों को भी आने वाले समय में इसमें शामिल करे, ताकि सही स्थिति हम लोगों के सामने आ सके।

इसके अतिरिक्त हमारे मंत्रालय ने Labour Bureau द्वारा तैयार किए जाने वाले रोजगार-बेरोजगारी से संबंधित सभी आंकड़ों में 10 से कम लोगों को employ करने वाले संस्थानों को भी शामिल करने की व्यवस्था शुरू की है। आगामी अप्रैल माह से हम इसे शुरू कर रहे हैं।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मनरेगा जैसे नेशनल प्रोग्राम हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि और उसके फलस्वरूप सृजित mandays की गंभीरता को हमने समझा है। इस मद में वर्ष 2014-15 में 32,477 करोड़ रुपए की धनराशि थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 48,387 करोड़ रुपए हो गई है। इसके फलस्वरूप सृजित mandays, जो पहले 16,576 लाख दिवस थे, वे अब बढ़कर 23,576 लाख दिवस हो गए हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अगर आपने इस बिल को आज dispose of करना है तो उत्तर को ज्यादा लंबा मत कीजिए। ..(व्यवधान) ..

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। ..(व्यवधान) .. I will take only five minutes, Sir.

श्री उपसभापति : Otherwise यह बिल carry over करेगा। ..(व्यवधान) .. मुझे problem नहीं है। ..(व्यवधान) .. I am asking you a question. I have no problem.

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मनरेगा में सारी धनराशि ... (व्यवधान) ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Because at 5.00 p.m., the time is over. Beyond that, we cannot wait. ..(व्यवधान) ..

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार रोजगार सृजन के प्रति बहुत सजग है और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम हिन्दुस्तान में काम कर रहे हैं, ताकि देश को दिशा मिले और यह देश दुनिया में अच्छी दिशा में आगे बढ़े। सब इसे मान रहे हैं। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने रखा, सरकार इस विषय में पूरी तरह से सतत, प्रयत्नशील और चिंतित है। इस सरकार के सारे प्रोग्राम न केवल देश में आर्थिक प्रगति और खुशहाली लेकर आयेंगे। देश में सभी को रोजगार के अवसर मिलें, यह हमारी चिंता की बात है।

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

मैं अधिक न बोलते हुए, यही कहूंगा कि इस संदर्भ में माननीय सदस्य मुझे जो सुझाव देंगे, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। मैं पूरे सदन और श्री विशम्भर प्रसाद निषाद से आग्रह करता हूँ कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और वे हमें जो सुझाव देंगे, हम उसके अनुसार आगे बढ़कर काम करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh, do you want a clarification?

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, Sir. I want a clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your clarification?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Bill is very, very important, very significant. But, I just seek a clarification from you. Sir, if you look at the Financial Memorandum of this Bill, it says, "A recurring expenditure of Rs. 5,000 crores per annum, and a non-recurring expenditure of Rs. 1,000 crores per annum." So, the money is going to be spent. On the 5th of August, 2016, voting on a Private Members' Bill presented by my colleague, Dr. K.V.P. Ramachandra Rao, was prevented on the grounds that that was a Money Bill. There was no expenditure. But, it was classified as a Money Bill, and it was not taken up. So, this Bill says, "Rs. 5,000 crores per year, and one-time expenditure of Rs. 1,000 crores per year." It is a classic Money Bill. So,

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

I seek clarity from you. How did Dr. K.V.P. Ramachandra Rao's Bill get classified as a Money Bill, and this Bill is not a Money Bill, when money is mentioned in the Bill? I want to ask this thing from you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How did the previous Bill was classified as Money Bill? That was not decided by me. That was decided by the hon. Speaker. So, in order to find a reply to that question, you contest the next Lok Sabha election, go there, and ask this question. It is a very important point. He has raised a very valid question. So, I will reply to that. But, with regard to this Bill, the hon. Speaker has not reported that it is a Money Bill, and I have no evidence before me to say that it is a Money Bill... (Interruptions)...

(Contd. by 3e/SSS)

SSS-DS/3E/4.45

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Please sit down. I am not the authority to decide whether it is a Money Bill or not. Therefore, I am asking you to reply.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I want to ask...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete and then you can ask.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I need to clarify.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the reply come. What are you clarifying?

Let the reply come. The Minister is the only speaker here. He is the person to clarify. Please sit down. निषाद जी, आप पाँच मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यह देश के नौजवानों से जुड़ा हुआ सवाल है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैंने इसको लाना इसलिए उचित समझा कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। मेरे इस निजी विधेयक पर माननीय सदस्य आनंद भास्कर रापोलू जी, महेश पोद्दार जी, विजिला सत्यानंत जी, आलोक तिवारी जी, डा. अनिल कुमार साहनी जी, डी. राजा जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, डा. विकास महात्मे जी, नीरज शेखर जी और रामकुमार वर्मा जी ने अपने विचार रखे। इन्होंने हमारा समर्थन किया, हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं।

माननीय उपसभापति जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इनके डेटा नहीं हैं, इनके आँकड़े नहीं हैं। हमने अपनी प्रस्तावना में जो-जो बातें रखी थीं, उनमें से एक का भी जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए हैं। अगर हम सीधे-सीधे इनके घोषणा-पत्र के ऊपर ही इनसे सवाल पूछें कि इन्होंने जो 2 करोड़ लोगों को प्रति

वर्ष नौकरी देने के लिए कहा था, तो उस हिसाब से तीन साल में वह आँकड़ा 6 करोड़ होता है, तो 6 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी? इसका जवाब इनके पास से नहीं आया है।

मान्यवर, इन्होंने "स्किल इंडिया" तथा अन्य अलग-अलग स्कीमों के बारे में बताया। इन्होंने जो "स्टैंड-अप इंडिया" की बात रखी, वह मैं नहीं समझ पाया कि यह "स्टैंड-अप इंडिया" क्या है। "स्टैंड-अप इंडिया" को पूरे देश के लोग नहीं जानते होंगे। इन्होंने जितनी भी योजनाएँ चलाई हैं, वे सब हवा-हवाई हैं, वे जनता के हित की नहीं हैं और केवल कागजों पर चल रही हैं। आज देश में सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और माइनोंरिटी के लोगों का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया कि इस देश में जिनकी आबादी 85 प्रतिशत है, वे केवल 50 परसेंट में ही आरक्षण पाएँगे और जो लोग 15 परसेंट हैं, उनको 50 परसेंट का फायदा मिलेगा।

मान्यवर, पूरे देश में केन्द्र की सेवाओं और स्टेट की सेवाओं की नौकरियों में कोई भी बैकलॉग न तो 27 परसेंट आरक्षण और न ही एससी-एसटी के लिए 21 परसेंट के आरक्षण के साथ भरा जा रहा है। केवल दिखावा किया जा रहा है। हम लोग ओबीसी कमिटी में हैं, हम पूरे देश में जाते हैं। यह सब जगह कहीं पर 2 परसेंट, कहीं पर 4 परसेंट और कहीं पर 10 परसेंट है। इस तरह से, पूरे देश में जो नौजवान है, वह पूरी तरह से बरबाद हो चुका है।

मान्यवर, आज देश में तमाम सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियाँ चल रही हैं। निजी क्षेत्र में तमाम कंपनियाँ चल रही हैं और वे अपने तमाम उत्पाद बेच रही हैं। वे

गवर्नमेंट से जमीन लेती हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेती हैं और बैंकों से लोन लेती हैं। विजय माल्या जी तो बैंकों से लोन लेकर भाग गए और आज पूरे देश में लोगों के बीच यह चर्चा चल रही है कि लगता है, बैंकों का कर्ज दूर करने के लिए बैंकों की गारंटी खत्म की जा रही है और जो आदमी बैंक में पैसा जमा करेगा, उसमें बैंक की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर कोई बैंक लुट गया, तो कह देंगे कि पब्लिक का पैसा लुट गया। मान्यवर, हर कंपनी के पास सीएसआर की निधि होती है। सीएसआर निधि देश के उन क्षेत्रों में लगाई जानी चाहिए, जहाँ वास्तव में लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ स्कूल की प्रॉब्लम है, लेकिन आज हमें देखने को कुछ और मिल रहा है।

(3एफ/एमसीएम पर जारी)

MCM-NBR/3F/4.50

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : जो विकसित शहर हैं, जहां विकसित एरिया है, वहां पर सारी कम्पनियां पैसा खर्च कर रही हैं। मान्यवर, इन्होंने जो स्किल इंडिया का जिक्र किया, मेरी समझ में नहीं आया जिसे मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि इस देश में "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना" में जो पूरे देश में सेंटर खोले हैं, उनके फ्रेंचाइजर कौन-कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और किन-किन को फ्रेंचाइजी दी है? इस देश में यही बहुत बड़ी समस्या है। चाहे Paytm और चाहे स्किल इंडिया की फ्रेंचाइजी हो, यह सब बड़े-बड़े उद्योगपति ही ले रहे हैं। ये ही गांवों में छोटे लोगों को देकर उनका शोषण कर रहे हैं।(समय की घंटी).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में व्यवस्था है कि देश के लोगों को रोजगार देना चाहिए। आज हमारे देश के लोग घास की रोटी खा रहे हैं।

श्री उपसभापति : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। मान्यवर, भूख और बेकारी के कारण अपने बच्चों को बेच रहे हैं। देश में नौकरियां खत्म हो रही हैं, आउटसोर्सिंग की ओर पूरे देश को यह सरकार ले जा रही है और जो सरकारी नौकरियां हैं उनको खत्म करने की योजना बनाई जा रही है।

श्री उपसभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हम लोग सभा के अंदर हैं। यहां जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको केवल वर्किंग ऑवर का ही पैसा दिया जाता है, छुट्टियों का पैसा नहीं दिया जाता। जब सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरे 365 दिन का पैसा दिया जाता है, तो उनको भी दिया जाना चाहिए। ये जितने संविदा कर्मी हैं, पहले जंतर-मंतर पर धरना देते थे। मान्यवर, यह सरकार तो लोगों के संवैधानिक अधिकार भी खत्म कर रही है क्योंकि अब लोगों को जंतर-मंतर पर धरना देने से रोक दिया गया है। अब लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You have taken more time. That is all. Sit down. Your time is over. Sit down. Mr. Nishad, look at the clock.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : उन्होंने जो नियंत्रण मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कामगारों के लिए 8 घंटे का नियम बना हुआ है। मुझे पूरे देश की जानकारी है कि महिलाओं से, बच्चों से 12 घंटे से ज्यादा काम लिया जा रहा है।....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please sit down. You are using this time for making a speech!

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मैं यही कहूंगा कि.....(व्यवधान).... (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nishadji, please sit down.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय,(व्यवधान)..... मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ा दें और अगले सत्र में जब यह आएगा.....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more. Stop now. You are not replying to the debate. You are only making a speech. Nothing more will go on record. Sit down. As a mover, you should reply to the points raised here. You are making another speech.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, अभी आदरणीया छाया जी ने कहा था कि जो मजदूर मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, उन पर भी जी0एस0टी0 पड़ रहा है। सरकार इस बात को साफ तो कर दे कि मजदूरों पर भी जी0एस0टी0 कैसे पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I requested the hon. Labour Minister to extend ESI medical facilities to the families of weavers, tailors and artisan classes. But, he has not responded to this very specific point. If it is extended, it will alleviate them from a lot of distress and social tension. I am expecting a reply from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can write to him.

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सर, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे जब चाहे मेरे पास आकर बैठें। हमारी सरकार को साढ़े तीन वर्ष हुए हैं और सब को परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जो राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव हो रहे हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं।.....(व्यवधान).....

श्री उपसभापति : ठीक है, आप भी बैठिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा मानना है कि.....(व्यवधान)

श्री उपसभापति : मंत्री जी, बैठिए। I have to dispose of the Bill before 5.00 p.m. Mr. Minister, I have to dispose it of before 5.00 p.m. Why don't you understand the problem?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा निषाद जी से आग्रह है कि वे आकर बैठें और जो सुझाव देंगे.....(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, पांच बजे तक खत्म करना है, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं।.....(व्यवधान).... The Minister is not understanding the problem.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि विधेयक को पारित किया जाए।.....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You need not speak now. I am only asking the question. सुनिए,.....(व्यवधान).... I only wants to know whether you are withdrawing the Bill.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मैं विधेयक को वापस नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने विधेयक पर कायम हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर वोटिंग कराई जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not withdrawing? (3G/SC पर आगे)

USY/3G/4.55

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : नहीं, सर। देश के नौजवान जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के लिए कितनी चिंतित है? जो उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, वे दे रहे हैं या नहीं दे रहे?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. If you are not withdrawing, I will have to move for voting. That is the only way out left. And, this being a Constitution (Amendment) Bill, I will have to go for a division. Mr. Nishad, you may think once again. Should we unnecessarily go for voting?

श्री नारायण लाल पंचारिया : सर, कोरम नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, quorum is there. ...(Interruptions)...

There is quorum. ...(Interruptions)... There is quorum. ...(Interruptions)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, चूंकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। जब देश में नौजवानों से वोट मांगने जाते हैं, उस समय पार्टियां अरबों-खरबों रुपए खर्च करती हैं। मैंने केवल उसमें यह रखा है कि पांच हजार करोड़ रुपए ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no time to make speeches. You only tell whether you are withdrawing or not. ...(Interruptions)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं और इस पर वोटिंग की मांग करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, he has not withdrawn. He is insisting on voting. I shall now put the Motion regarding the consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2016 (insertion of new article 16A) to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The House divided.

(Followed by 3h – PK)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017PK-GS/3H/5.00

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, lobbies are cleared. ..(Interruptions).. No, no. Now, you cannot. Rules do not permit. You sit down. ..(Interruptions).. No, no. Rules do not permit. ..(Interruptions).. You sit down. ...(Interruptions).. Rules do not permit to intervene now. ...(Interruptions).. I am on the voting process. ...(Interruptions).. Please sit down. ...(Interruptions)..

Now, the question is:

That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.

The House divided.(Followed by PB/3J)PB-HMS/5.05/3j

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the result. ...(Interruptions)... I am announcing the result. ...(Interruptions)... Please. I am announcing the result, Subject to correction. ...(Interruptions)... Yes, yes. This is subject to correction. Don't worry. All votes which are received by chits will also be considered, taken into account. But this is subject to correction. ...(Interruptions)... Subject to correction :

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

Ayes: 18

Noes: 21

(Here enter the Division Lists for Ayes and Noes arranged in alphabetical order)

The motion was not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was negatived.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Private Members' Business is over. ... (Interruptions)... Now, Special Mentions. ... (Interruptions)... Lobbies may be opened. ... (Interruptions)... Mr. Goel, do you want to say anything? ... (Interruptions)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : नीरज जी, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। मैंने कहा था कि इस बात को चेयरमैन के ऊपर छोड़ दिया जाए। वे आगे सदन चलाने के लिए sense of the House ले लें। .. (व्यवधान) ..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, three votes cast by ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is subject to correction. ... (Interruptions)... That is the procedure. Sit down. ... (Interruptions)... All votes will be displayed. ... (Interruptions)... Your vote will be there. All chits

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

will be considered. What I said is, 'Subject to correction'. That is the procedure always. ...(Interruptions)... नीरज जी, यह हमने procedure के अनुसार किया।

SHRI NEERAJ SHEKHAR: I understand English also, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understand Hindi also. ...(Interruptions)... सुनिए, जो हमने किया है, वह procedure के अनुसार है। आपका वोट चिट में आ गया है, वह भी इस में include हो जाएगा। यह Display Board में मिलेगा। All votes will be included. Don't worry about that. That is the procedure. ...(Interruptions)... Now whether the House sits beyond five, the Minister has left it to the discretion of the Chair and, therefore, today being Friday and our usual practice is to adjourn at 5.00 p.m., I think the Minister agrees that we(Interruptions)... Do you want to sit? ...(Interruptions)... Okay, I think that is the consensus. ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, we can do one Bill. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, if you sit, you can do. ...(Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: We can show to the people of India that we want to work, we want to serve the people ...(Interruptions)... and I am sure all the Members will agree upon(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't worry. We will do one thing.

...(Interruptions)... आप लोग बैठिए। ..(व्यवधान).. One second.

श्री नीरज शेखर : सर, corrective result कब आएगा?

श्री उपसभापति: बैठिए। बैठिए। ..(व्यवधान)... You read the Rules Book. Don't ask me all this. Sit down. रूल बुक पढ़ो। ..(व्यवधान)... No, no, please. Mr. Piyush Goyal, I can assure you that on the remaining working days, we have three or four working days, we will sit extra hours and dispose of the business. ...(Interruptions)... So, now, the Private Members' Business is over. Now we have to take Special Mentions. First is, Chaudhary Munvvar Saleem. Sorry, Chaudharyji. I could not help you.

SPECIAL MENTION (CONTD.)

SCH/9C

***DEMAND FOR ADDRESSING PROBLEM OF MALNUTRITION
AMONG CHILDREN IN COUNTRY**

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, जिस मुल्क का बचपन बीमार होता है, उस मुल्क पर राज करने वाले चाहे जितने तंदुरुस्त हो जाएं, लेकिन मुल्क बीमार ही रहता है।

* Laid on the Table

महोदय, जब पूरी दुनिया के कुपोषित बच्चों पर नज़र जाती है, तो विकासशील और विकसित भारत का दावा करने वालों पर शर्म आती है। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 14.6 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें से 5.7 करोड़ बच्चे केवल भारत के हैं। पूरी दुनिया के कुपोषित बच्चों की संख्या का यह एक-तिहाई भाग है।

47 फीसद कुपोषित बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी तादाद भारतवर्ष में है। रिपोर्ट में इन कुपोषित बच्चों का शहरी प्रतिशत 31 फीसद आंका गया है, जबकि देहात में इनका प्रतिशत 41 फीसद बताया गया है। भारत के विभिन्न नगरों की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की आयुर्विज्ञान संस्थान ने महानगरों की जांच में 51 फीसद बच्चे कम वज़न के पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 85 फीसद बच्चे आने वाली पर्यावरण की आपदा का शिकार होने वाले हैं। मैं अपनी बात इस अफसोसनाक तथ्य पर रोकना चाहता हूँ कि अफ्रीका से अधिक कुपोषित बच्चों की संख्या मेरे भारत देश में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इन कुपोषित बच्चों के संदर्भ में क्या कोई नीति बनाई है? यदि बनाई है, तो इस नीति से कुपोषित बच्चों की संख्या में क्या कोई गिरावट आई है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि इन कुपोषित बच्चों की जिंदगी के बारे में जल्दी ही कुछ सोचें, जो आने वाले भारत का सुनहरा कल हैं।

(समाप्त)

چودھری منور سلیم (اٹر پردیش) : مہودے، جس ملک کا بچپن بیمار ہوتا ہے، اس ملک پر راج کرنے والے چاہے جتنے تندرست ہو جائیں، لیکن ملک بیمار ہی رہتا ہے۔

مہودے، جب پوری دنیا کے کپوشت بچوں پر نظر جاتی ہے، تو وکاس-شیل اور وکست بھارت کا دعویٰ کرنے والوں پر شرم آتی ہے۔ یونیسف کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں 14.6 کروڑ بچے کپوشت کا شکار ہیں، جن میں سے 5-7 کروڑ بچے صرف بھارت میں ہیں۔ پوری دنیا کے کپوشت بچوں کی تعداد کا یہ ایک تہائی حصہ ہے۔

47 فیصدی کپوشت بچے چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں، جن کی سب سے بڑی تعداد بھارت-ورس میں ہے۔ رپورٹ میں ان کپوشت بچوں کا شہری فیصد 31 فیصدی آنکا گیا ہے، جبکہ دیہات میں ان کا فیصد 41 فیصدی بتایا گیا ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں کی رپورٹ کے ادھار پر دہلی کی آیوروگیان سنستھان نے مہانگروں کی جانچ میں 51 فیصدی بچے کم وزن کے پائے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 85 فیصدی بچے آنے والی پریاورن کی آپدا کا شکار ہونے والے ہیں۔ میں اپنی بات اس افسوسناک نتیجے پر روکنا چاہتا ہوں کہ افریقہ نے زیادہ کپوشت بچوں کی تعداد میرے بھارت دیش میں ہے۔

مہودے، میں آپ کے مادھیم سے بھارت سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ان کپوشت بچوں کے سندربھہ میں کیا کوئی نیتی بنائی ہے؟ اگر بنائی ہے، تو اس نیتی سے کپوشت بچوں کی تعداد میں کیا کوئی گراوٹ آئی ہے؟ میں آپ کے مادھیم سے سرکار سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کپوشت بچوں کی زندگی کے بارے میں جلدی ہی کچھ سوچیں، جو آنے والے بھارت کا سنہرا کل ہیں۔

(ختم شد)

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

श्री उपसभापति : चौधरी जी ने Special Mention lay कर दिया। Thank you Chaudharyji. Chaudharyji, I am sorry. I could not help you. You are my best friend. In spite of my earnest desire, I could not help you because I was violating a rule. I was to violate a rule.

(Contd. by 3k/SKC)

SKC-ASC/3K/5.10

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Jharna Das Baidya, not present. Shri Sambhaji Chhatrapati, not present. Now, Message from the Lok Sabha; Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA**THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY
CODE (AMENDMENT) BILL, 2017**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed

Uncorrected/ Not for Publication-29.12.2017

to enclose the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 29th December, 2017.”

I lay a copy of the Bill on the Table.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. The House stands adjourned till 1100 hours on Tuesday, the 2nd January, 2018.

The House then adjourned at eleven minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 2nd January, 2018.